

Ankur Pathak Advocate B-314 Lawyers Chamber High Cort Lucknow. Reg.No.-UP02194/2014 Lucknow Development Authority	Mobile No.8081707579,8957260964 Residence- 285/197(CHA) Mill Road Aisbagh Lucknow. Email. -ankurtakkipur@gmail.com
Ref:- NEC- 4/26	Date :- 18-3-2026

LEGAL TITLE SEARCH REPORT

To,

U.P. Real Estate Regulatory Authority,

Lucknow U.P.

1. Name & Address of the owner Lucknow Development Authority-
Lucknow.

2. Details/description of documents scrutinized:

Sr.No.	Date of Document	Type of Document	Whether Original/Certified/True Copy/Photostat Copy Examined
1.	1390 Fasli	Jot Chakbandi Akar Patr 41,45	Certified Copy
2.	25.02.1987	Acquisition Award	Certified Copy
3.	1429-1434	Khatauni	E-copy
4.		Layout Plan	Copy

3. Details/description of the property/properties

Sy.No., Khata No. House No., Site No.	Extent Areas of land/ building	Location Sub Distt/District Village/Municipality etc.	Boundary
Plotted Residential Housing Project Situated At Village Bharwara-Tehsil And Distt.- Lucknow. 550, 549, 548, 546, 547, 544, 545, 543, 542, 537, 541, 541/1198, 536, 557, 557A, 556, 555, 554A, 554V, 551B, 551A,	Total area of land involved in this project is 37,179 sqmt.	Mauja Village Bharwara-Tehsil And Distt.-Lucknow. Lake View Apartment	East-N/A West-N/A North-N/A South-N/A

4. Bried history of the property and how the owner/mortgagor has derived title:

That Jot Chakbandi akar patr 41,45 Village Bharwara-Tehsil And Distt.- Lucknow. Lucknow for 1390 Fasli shows that land owners are sankramaniy bhumidhar of land araji no 550, 549, 548, 546, 547, 544, 545, 537, 542, 536, 557, 557A, 556, 555, 554A, 554V, 551B, 551A, 543.

Ankur
ANKUR PATHAK
Advocate
High Court, Lucknow
C.O.P. No-164633/2018
A.O.R. No-BA3540/2024
Reg. No-UP02194/2014

	tenanted whether the property can be taken as mortgagee and what precautions to be taken?	
18.	Please state the names of the persons who should join the execution of sale deed	: Lucknow development Authority, Vipin Khand Gomti Nagar Lucknow, Pincode- 226010
19.	Encumbrance Certificate for last 30 years	: I have searched the book index No.2 in the office and notification 4/17 and 6/17 Dated 08.12.1984 And aquisition award Dated 25.02.1987

Final certificate :

I, certify that M/s Lucknow development Authority Lucknow, Vipin Khand Gomti Nagar, Lucknow. Pin. 226010 have valid & clear marketable & mortgageable title in the properties shown above.

Place. Lucknow.

Dated.....18-3-2021.....


Ankur Pathak
Advocate

ANKUR PATHAK
Advocate
High Court, Lucknow
C.O.P. No-184833/2018
A.O.R. No-BA3540/2024
Reg. No-UP02194/2014

उत्तर प्रदेश विधि परिषद
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH



Certificate of Practice
[Issued under B. C. I. Certificate and place
of Practice (Verification) Rule, 2015]



C.O.P.No. R1-164633 of 2025

This is to certify that
ANKUR PATHAK

D/S/O **DAN BAHADUR PATHAK**

R/O **H.NO.: 285/197(CHA) KAREHTA NEAR GOVT PRESS
MILL ROAD AISHBAGH, LUCKNOW 226001, MOB:
8081707579**

P/S

Dated 13/03/2014 is an advocate enrolled in the Bar Council of Uttar Pradesh. His
/Her enrolment number is UP02194/14 dated 13/03/2014 and his/her normal
place of practice is HIGH COURT, LUCKNOW

He/She is entitled to cast his/her vote for the election of Bar Council of Uttar Pradesh
at LUCKNOW (Place) and in the elections of Bar Association of
LUCKNOW BAR ASSOCIATION, LUCKNOW

(name & place of Bar Association, if applicable).

This certificate of practice is valid for a period of 5 years from the date of its issuance.

Date: 01/11/2025

ANKUR PATHAK

Advocate
High Court, Lucknow
C.O.P. No-164633/2018
A.O.R. No-BA3540/2021
Reg. No-LP

122153


(Shiv Kishor Gaur)
Chairman

अभिनिर्णय

1- वाद संख्या	5/84
2- ग्राम-भरघारा, तहसील व जिला व परगना-	लखनऊ
3- प्रस्तुतित क्षेत्रफल	806-11-1 बीघा
4- क्या जमींदारी विनश अभिनिश्चय लागू है-	हां
5- अध्यापित निकाय का नाम	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
6- अध्यापित का प्रयोजन	जनपद- लखनऊ में उच्चरिच्योव आवासीय योजना भाग-2, लखनऊ
7- अर्जित क्षेत्रफल	801-17-19 बीघा
8- विज्ञापित धारा-4 के प्रकाशन की तिथि	8-12-84
9- विज्ञापित धारा-6 के प्रकाशन की तिथि	8-12-84
10- क्या धारा-17 का प्रयोग हुआ है	हां
11- कच्चा की तिथि	21-3-85/74-19-3, 27-3-85/ 50-0-7, 28-3-85/75-0-3, 29-3-85/ 80-12-9, 31-3-86/364-18-12 बीघा
12- अभिनिर्णय की तिथि	25-2-1987
13- अभिनिर्णीत धनराशि:	
	भूमि का प्रतिफल ₹0 1,82,87,393.07
	कूतों का प्रतिफल ₹0 2,71,116.38
	निर्माणों का प्रतिफल 52,555.00
	<u>योग-</u> 1,86,11,064.45
	30 प्रतिशत सोलेशियम 55,83,319.34
	<u>सम्पूर्ण योग-</u> 2,41,94,383.79
14- पूंजी कृत मूल्य	₹0 2,66,114.00
15- धनराशि ब्याज	नियमानुसार देय होगा ।

ड० बी०डी० सिंह
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी
शारदा सहायक परियोजना
लखनऊ ।

अभिनर्णय-पत्र

वाद संख्या	5/84
ग्राम-	भरवारा
परगना-	लखनऊ
तहसील-	लखनऊ
जिला-	लखनऊ ।

यह भूमि अर्जन प्रस्ताव लखनऊ विकास प्रबंधन द्वारा जनपद लखनऊ में उच्चरियांव जावासीय योजना भाग-2, लखनऊ के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ । अर्जन के अन्तर्गत जाने वाली भूमि जमींदारी विन्यास क्षेत्र के अन्तर्गत आती है । इस योजना की प्रथम विज्ञप्ति धारा-4 § 1 दिनांक 8-12-84 तथा धारा-6 की विज्ञप्ति दिनांक 8-12-84 को गजट में प्रकाशित हुई । इस ग्राम की कुल प्रस्तावित भूमि 806-11-1 बीघा है, जिसमें से प्लॉट संख्या 62/0-10-0, 166/1-9-0, 168/0-2-15, 243/0-5-4, 281/0-5-0, 85/0-6-13, 50/0-8-0, 51स/0-10-0, बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रेणी 4 दर्ज है तथा ससरा नम्बर 281स/0-7-0 श्रेणी 5 एवं ससरा नम्बर 51स/0-3-0 बीघा श्रेणी-6 ग्राम अभिलेखों में अंकित है । इस प्रकार श्रेणी 4, 5 व 6 की कुल भूमि 4-7-2 बीघा भूमि ग्राम समाज दर्ज है, जिसका प्रतिफल देखा न होगा । कुल प्रस्तावित रकबा 806-11-1 बीघा में से 4-7-2 बीघा भूमि जो ग्राम समाज की है तथा ससरा नम्बर 349 का कुल रकबा 11 बिस्वा है जबकि गजट में प्रकाश 16 बिस्वा का है, इस प्रकार 5 बिस्वा का अधिक गजट है, तथा ससरा नम्बर 607 का कुल रकबा 1-12-8 बीघा है, गजट में प्रकाशन 1-13-8 बीघा का हुआ है, । बिस्वा भूमि का अधिक प्रकाशन हुआ है । इस प्रकार दोनों ससरा नम्बरों में 6 बिस्वा रकबा अधिक प्रकाशित हुआ है जो प्रस्तावित कुल रकबा में से कम रकबा होगा इस प्रकार ग्राम समाज भूमि 4-7-2 बीघा व अधिक गजट भूमि 6 बिस्वा कुल रकबा 4-13-2 बीघा भूमि 806-11-1 में से कम करके 801-17-19 बीघा भूमि शुद्ध क्षेत्रफल बचता है जिसका अभिनर्णय किया जा रहा है । इस योजना में धारा-7/17 के भी प्राविधान दिनांक 8-12-84 को लागू हो गया है । अतएव भूमि का फक्का जप्यापित निष्पत्ति को अन्तर्गत किया गया ।

द्वितीय व्यक्ति को धारा 9 § 1 § 1 § 1 की नोटिसें निर्गत की गयीं । जिन कारतकारों द्वारा अपना मांग पत्र / आपतित पत्र प्रस्तुत किया है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न

प्रकार है :-

सात सदीनी संख्या- 1 व 160

खसरा नं० 207अ/7-17-19 बीघा, 206अ/8-17-15, 499/1-4-5, 663/9-17-18 बीघा भूमि अम्बर सिंह पुत्र शिवदर्शन सिंह के नाम नाम जमींदारी में बहीर भूमिधर अंकित है। अम्बर सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उपरोक्त भूखण्ड के पास में इन्डिय नगर एवं गोपती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कालोनिया हैं, जहां पर बिजली, पानी, वातावरण के साधन उपलब्ध हैं, बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध कहा है तथा रेलवे स्टेशन भी बताया है। इस प्रकार भूमि की भावीनक क्षमता से भरपूर बताया है। इस भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से 12 प्रतिशत अधिकतम प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से 15 प्रतिशत स्थायी नियमानुसार व 30 प्रतिशत सेलेशियम की मांग की है तथा परिवार के सदस्यों को ज्योतिष निस्वय में नौकरी, व्यापार परिवर्तन से हानि के यह में रु० 50,000/- व फसल के प्रतिफल की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दिया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में जो कहा है उस संबंध में तत्समक विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संबंध स्थापित करें। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

उक्त भूखण्डों के संबंध में एक आपत्ति पत्र रामनरेश सिंह पुत्र अम्बर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि उपरोक्त भूमि पत्रक सम्पत्ति है जिसे हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार बाबा शिवदर्शन सिंह के नाम सारी जमीन आयी है, वह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का किसी प्रकार का बटवारा श्री अम्बर सिंह पिता द्वारा नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी एवं उसके भाई जो दिये गये शजरे के भूतबिक संकर कला सिंह, रामनरेश सिंह, राजेन्द्रसिंह व देशराजसिंह उर्फ महाराजसिंह पुत्रगण अम्बर सिंह अलग-अलग रहते हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त संदीर्भित भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बताया है, आपत्तिकर्ता का यह कहना है कि उसके पिता उपरोक्त सम्पत्ति उसके भाई देशराज सिंह के परिवार में ही देना चाहते हैं जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। आपत्तिकर्ता रामनरेश सिंह अपना 1/4 भाग का प्रतिफल चाहा है। अपनी उक्त मांग के संबंध में साक्ष्य स्वरूप के एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो उक्त मांग की पूर्ति के लिये सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इनकी मांग में कोई बल नहीं प्रतीत होता है अतएव आपत्ति निरस्त की जाती है। भूमि का प्रतिफल अम्बर सिंह को नियमानुसार देय होगा।

समाप्त खतौनी सं०-३

संख्या नं० 248/0-6-16 बीघा भूमि अग्रध्वज सिंह पुत्र भगोती शरण सिंह के नाम बतौर भूमिघर वर्ज है। अग्रध्वज सिंह निवासी 22 ए-सी, महानगर, लखनऊ द्वारा कोई मांग पत्र/आपत्ति पत्र दखिल किया जाना नहीं पाया जाता है। भूमि का प्रतिफल नियमित जो निर्धारित किया जायेगा, नियमानुसार देय होगा।

समाप्त खतौनी सं०- 4 व 169

संख्या नम्बर 557अ/2-3-18, 564/0-3-10-0, 520/0-14-18-0, 557क/3-3-19-0 बीघा भूमि अलखदीन सिंह व सूर्य निरंजन सिंह पुत्रगण चन्द्रमाल सिंह निवासी ग्राम के नाम बतौर भूमिघर ग्राम अधिलेखों में वर्ज है। अलखदीन सिंह व सूर्य निरंजन सिंह द्वारा पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। मांगकर्तागण उपरोक्त भूमि में अपना अपना 1/2 भाग बताया है। मांगकर्तागण अपने को भूमिघर बताया है और कहा है कि भूमि के चारों तरफ आवासीय भुविधार्य उपलब्ध हो चुकी हैं। यह भी कहा गया है कि उनकी भूमि से 100 मीटर की दूरी पर लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग स्थित है और उसी के तुरन्त पास उ०प्र० आवास एवं विकास धीरपद की पूर्ण विकसित इंदिरा नगर आवासीय योजना है। भूमि के निकट बिजली, पानी, शैक्षिक संस्थाएँ जैसे राष्ट्रीय उद्योग, इण्टर कालेज, कंचनपुर मटियारी, राजकीय पालीटेक्निक, कुकरैल मनोरंजन वन एवं कई आवासीय संपत्तियों की भूमि बतायी गयी है। भूमि के निकट कई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्थित होने बताये गये हैं जैसे- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स एवं उसकी एंसीलयेरी फैक्ट्री, कृष्णा ट्रांसफरमर मोटर सेल्स फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज अदि बताये गये हैं। मांगकर्तागणों द्वारा यह भी कहा गया है कि जीबिका का एक मात्र साधन अर्जित की जा रही भूमि ही है। अन्य कोई साधन नहीं है। भूमि अर्जन से जीबिका का साधन समाप्त हो जायेगा जो केवल प्रतिफल की घनरक्षि से न हो पायेगा। भूमि को अधिग्रहीत करने का कोई औचित्य नहीं बताया है तथा साथ में यह भी कहा गया है कि भूमि को अधिग्रहण की सूचना अनियमित है। अन्त में आपत्तिकर्तागणों द्वारा यह कहा गया है कि यदि भूमि को अधिग्रहण करना नियमित व आवश्यक है तो उपरोक्त तथ्यों का समावेश करके कम से कम 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिफल का प्रबंधन किया जाय। धारा-4 की प्रकाशन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत व्यय दिया जाय। व्यवसाय परिवर्तन हेतु प्रतिफल की आधी घनरक्षि बकाया लेने से पूर्व मांग की है, गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत सीवरेज हेतु

499/1-4-5, अधिलेखों में बतौर कहा है कि उपरोक्त विकसित कालोनिया फ्ल, पोस्ट ऑफिस। इस प्रकार भूमि फुट की दर से, नियमानुसार य 30 निफाय में नौकरी, प्रकार की भी मांग का प्रतिफल देय जो कहा है उस प्रतिफल नियमित:

अधर सिंह द्वारा दित है जिसे किन्दु है, यह कि प्रार्थी नहीं किया गया के भुताधिक शंकर पुत्रगण अधर अपना 1/4 हिस्सा उसके भाई देशरज अतिकर्ता रामनरेवा में साक्ष्य स्वरूप क सिद्ध नहीं हो निरस्त की जाती

प्रतिकर की मांग की है। खरीफ की खड़ी फसल का प्रतिकर 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है, आपत्तिकर्ता गणों द्वारा यह भी मांग की गयी है कि ग्राम की आबादी के मध्य स्थित भूमि संख्या 564 अधिग्रहीत न की जाय। इस मस्यौदा पर भवन, शौचालय, पक्की नालें, चरही तथा जानवरों का छप्पर रख बताया है। उक्त मांगों की पूर्ति में आपत्तिकर्तागणों द्वारा कोई सबूत दक्षित नहीं किया गया है। भूमि को मेरे स्तर से छोड़ा जाना संभव नहीं है। फसल का प्रतिकर देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा मेरे द्वारा नहीं किया गया है। अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा।

खाता खतोनी संख्या-5

ससरा नं० 520/1-9-0, 530/13-16-0, 531/2-6-10, 525/0-4-10 बीघा भूमि अलखदीन सिंह, निरंजन सिंह पुत्रगण चन्द्रमाल सिंह व पुत्रसिंह पुत्र रागरक्ष सिंह व कामती देवी विधवा पुत्रसिंह व शम्भुनाथ सिंह पुत्र सरल साहब व कु० शुशीला पुत्री नारायण सिंह, व इकबाल बहादुर सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह व श्रीमती जगदेवी पत्नी चन्द्रमाल सिंह के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज हैं। श्रीमती जगदेवी पत्नी चन्द्रमाल सिंह, अलखदीन सिंह, सूर्य निरंजन सिंह, शम्भुनाथ सिंह, इकबाल बहादुर सिंह, शुशीला दारा पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि के संबंध में खरी बातें कही गयी हैं जो उपरोक्त खाता नम्बर 4 व 169 में अलखदीन सिंह अवि दारा की गयी हैं। भूमि के प्रतिकर की मांग भी उक्त की भाँति की गयी है। पुत्र सिंह दारा पृथक रूप से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से, 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सेलेभियम की मांग की गयी है। उपरोक्त मांगकर्तागणों में से इकबाल बहादुर सिंह दारा उक्त संबंधित भूमि में अपना 1/8 भाग बताया है तथा यह हिस्सा शुशीला दारा भी बताया गया है। उपरोक्त मांगकर्तागणों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दक्षित किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह हिस्से के अनुसार नियमतः देय होगा।

खाता खतोनी सं०- 6

ससरा नं०- 164/0-17-13 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में अशुतोभ पुत्र सेवाराम निवासी हसनगंज, लखनऊ के नाम बतौर वर्ग-1 भूमिधर दर्ज है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र/आपत्ति पत्र दक्षित नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतौनी सं०-7

/- प्रति बीघा की दर
प्र की जावदी के मध्य
भवन, शौचालय, एककी
ष्टि में व्ययितकर्तागणों
छोड़ा जाना संभव नहीं
। नहीं लिया गया है।
धिया वह नियमानुसार

ससरा नं० 241/5-5-5 बीघा भूमि उकवाल बहादुर सिंह पुत्र कुंवर बहादुर
सिंह के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है । इकवाल बहादुर सिंह द्वारा मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि भूमि गोमती नगर, चिनकट, फेजाबाद रोड व रेलवे स्टेशन
व एच०ए०ए०के के नजदीक है इसलिये भूमि का बाजार मूल्य 30/- प्रति वर्ग फुट बताया
है । व्यापार परिवर्तन के मक में भी प्रतिशत चाहा है, 5000/- प्रति बीघा फसल का नुकसान
मांगा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से व्याज की भी मांग की है।
अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिशत नियमतः जो
निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतौनी सं० 8 व 171

-10, 525/0-4-10
सिंह पुत्र रामरत्न सिंह
) शशीला पुत्री नारायण
श्री पत्नी बंदाभाल सिंह
पत्नी बंदाभाल सिंह,
शुशीला द्वारा पृथक्-
हैं जो उपरोक्त खाता
के प्रतिशत की मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए
दर से व्याज व 30
तागणों में से इकवाल
॥ यही हिस्सा शुशीला
पुष्टि में कोई सक्ष्य
जायगा वह हिस्से के

ससरा नं० 593अ/0-0-5, 593ब/1-6-7 बीघा भूमि उमराव पुत्र धनश्याम
शा०बा० के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है । उमराव ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
करते हुए कहा है कि भूमि माविक क्षमता से भरपूर है । भूमि का प्रतिशत 20/- प्रति वर्ग
फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिशत, 15 प्रतिशत व्याज, 30 प्रतिशत
सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में उमराव द्वारा कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया गया है । भूमि का प्रतिशत नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय
होगा ।

खाना खतौनी सं० 9

ससरा नं० 641/1-8-15 बीघा भूमि कल्लू पुत्र कल्ला के नाम ग्राम अभिलेखों
में बतौर भूमिधर दर्ज है । कल्लू की मृत्यु हो चुकी है, प्रस्तुत खतौनी के अनुसार कल्लू के
बहिन सुशीला, ललन व देवीदीन पुत्रगण कल्लू हैं । भूमि के प्रतिशत की मांग 15/-
प्रति वर्ग फुट की दर से की गयी है । मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया है
भूमि का प्रतिशत नियमतः जो मेरे द्वारा निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार
व्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

खाना खतौनी सं० 16

अशुतोष पुत्र सेवाराम
नके द्वारा कोई मांग
: जो निर्धारित किया

ससरा नं० 430/5-11-18 बीघा भूमि कल्लू पुत्र राममरोसे सिंह द्वारा पट्टी,
यक्षियागंज, ललनऊ के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है । भूमि का प्रतिशत
40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की गयी है । मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित
किया गया है । भूमि का प्रतिशत मेरे द्वारा जो नियमतः निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता सत्तोनी सं० 17 व 200

ससरा नं० 90/3-18-14, 377ज/5-6-2, 475/1-6-4, 656/1/1-2-13, 377/0-16-8, 657/2/0-7-18. वीध भूमि सेरीलाल पुत्र गयादीन के नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर भूमिधर दर्ज है। सेरीलाल द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भूमि लखनऊ कैलाशवाट रोड के समीप स्थित है. भूमि के पास रेलवे स्टेशन पठशाला, बाजार इत्यादि की सुविधाएँ बतायी हैं। भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ग्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेरियम की भी भाग की गयी है। इनके द्वारा फलतः एक प्रतिकर भी मांगा गया है। अपनी मांग की पुष्टि में सेरीलाल द्वारा कोई सक्ष्य नहीं दखिल किया गया है। भूमि का प्रतिकर मेरे द्वारा जो नियमतः निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार वेच होगा।

उक्त संबन्धित भूमि के संबंध में एक अपतित पत्र मैकु पुत्र छंगा निवासी जियासक परगना व ततहसील व जिला लखनऊ द्वारा दिनांक 15-11-85 में दखिल किया है। प्रस्तुत अपतित पत्र पर एक शजरा मानदत्त भी दर्शाया गया है जिसके अनुसार कंधर के दो लहकियां श्रीमती शिलाला व श्रीमती फूला है। श्रीमती शिलाला के दो लहके मैकलाल व सेरीलाल है तथा श्रीमती फूला के एक लहका मैकलाल इज्जरवार है। मैकु पुत्र छंगा द्वारा उक्त भूमि में अपनी 1/2 भाग का हिस्सा बताया है और यह भी कहा है कि मैं अपने मामा के नाम के नाम के कागजात दखिल करूंगा परन्तु कोई सक्ष्य या कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त भूमि के संबंध में एक भुक्तमा भी आर०पी० सिंह जुडिशियल ऑफिसर इरेक्च्यूटिव, लखनऊ की कोर्ट पर चला जिसकी फोटोस्टेट कपी सेरीलाल द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें दिनांक 29-6-70 को जुडिशियल ऑफिसर इरेक्च्यूटिव लखनऊ ने मैकु पुत्र छंगा द्वारा उक्त संबन्धित भूमि भूमि के संबंध में प्रस्तुत बाध निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का प्रतिकर देने के इकदार राजस्व अमिलेखी में अंकित कर्तकार सेरीलाल ही है।

साता सत्तोनी सं० 18 व 201

ससरा नं० 454/1-11-11, 453/0-6-0 वीध भूमि सेरीलाल व मैकलाल पुत्रगण गयादीन नि० लखवा के नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर भूमिधर दर्ज है। सेरीलाल

1-6-4, 656/1/1-
पुत्र गणेशदास के नाम
त किया गया है जिसमें
भूमि के पास रेलवे
प्लेटफॉर्म 20/- प्रति वर्ग
फुट की दर से सोलेशियम
प्लान्ट किया है। अपनी मांग
भूमि का प्रतिफल भेरे

छंगा निवासी जियामऊ,
बतल किया है। प्रस्तुत
कॉन्ट्रैक्ट के दो लड़कियां
पेकूलाल व मेरीलाल हैं
छंगा द्वारा उक्त भूमि
अपने मामा के नाम
त नहीं किया गया है।
सर (रेवेन्यू), लखनऊ
की है जिसमें दिनांक
का द्वारा उक्त संदर्भित
प्रकार उक्त भूमि का

मेरीलाल व मेकूलाल
वर्ज है। मेरीलाल

व मेकूलाल द्वारा पृथक-पृथक आपत्ति/मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/-
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज, 30 प्रतिशत की दर
से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में उन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल भेरे द्वारा जो नियमतः निष्पत्तिरित किया जायगा,
वह उक्त कार्रवारों को हिस्से के अनुसार देय होगा।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपत्ति पत्र मैकू पुत्र छंगा निवासी जियामऊ, परगना
व तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आपत्ति पत्र में मैकू द्वारा
वही बातें कही गयीं हैं जो खता संख्या 17 व 200 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति
की विवेचना खाता सं० 17 व 200 पर की जा चुकी है।

खाता खतौनी सं० 20 व 205

सं० 6248/0-9-8, 6248/1-0-12 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में
गुलाब सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ग्राम वासी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज है। गुलाब सिंह ने
आपत्ति पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवश्यकता
की सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं, अपनी भूमि को कम्पनी कीमती बताने हुए भूमि का प्रतिफल
15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत
की दर से सोलेशियम, व्यवसाय परिवर्तन हेतु हुई क्षति पूर्ति हेतु प्रतिफल की आधी घनराशि
की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का
प्रतिफल भेरे द्वारा जो नियमतः निष्पत्तिरित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज
व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता खतौनी सं० 21 व 206

सं० 353/2-5-1-0, 353/0-8-15, 350/4-11-0, 405/2-10-0
बीघा भूमि मुख्यालय पुत्र छेदा नि० सतखवा के नाम ग्राम अभिलेखों में खाता 21 भूमिधर व
खाता 206 सारदार अंकित है। मुख्यालय सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा
है कि भूमि के पास लखनऊ फैजाबाद रोड, रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध
हैं। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर
से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। प्लॉट सं० 405 पर
पेड़ अक्ष 50, पेड़ क्लस्टर 25, शीशम 25, अमरुच 40, बबूल 10, बिलयल 3, नीम 6,

गुलर 2 तथा फरेंग । बताया है । करीफ की फसल का प्रतिफल भी 10,000/- मांग है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं बतलवाया है । फसल का प्रतिफल देना होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । पेड़ों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा जिसका उल्लेख फर्म नमूना-6 पर किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलैशियम भी देय होगा।

साता सतीनी सं० 22

ससरा नं० 650अ/0-0-6-0 बीया भूमि गनेरी पुत्र घनक्याम के नाम ग्राम जमिनेदारों में अंशित है । इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया जाता है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा ।

साता सतीनी सं० 23

ससरा नं० 259/2-13-1-0 बीया भूमि गुरुचरन पुत्र तथा शांशाठ के नाम ग्राम जमिनेदारों में अंशित है । गुरुचरन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की है तथा व्यवसाय परिवर्तन के मद में 50 प्रतिशत की मांग की है और रु० 1,25,000/- पेड़ों का प्रतिफल भी मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । पेड़ों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा जिसका उल्लेख फर्म नमूना-6 पर किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 27 व 232

ससरा नं० 48अ/1-7-0, 40अ/0-18-5, 656अ/0-6-18-0 बीया भूमि ग्राम जमिनेदारों में छोटा पुत्र मेकू के नाम अंशित है । छोटा द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । इनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय

खाता सतीनी सं० 20

2A

मी 10,000/- मांग
फसल का प्रतिफल देय
कच्चा के आधार पर
का प्रतिफल नियमतः
मी देय होगा।

वसरा नं० 336/0-10-15-0 बीघा भूमि देवा व रमा व राधे पुत्रगण
मेकू के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। रमा व राधे ने संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते
हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा छोटा दारा भूमि का
प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। इन लोगों द्वारा ब्याज व सोलेशियम
की मांग की गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया गया है। भूमि का प्रतिफल जो नियमतः निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा
तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

नरपाय के नाम ग्राम
जाना पाया जाना है।

खाता सतीनी सं० 31 अ 242

वसरा प्लाट नं० 2473/0-0-16, 2473/2-10-0, 519/3-15-0,
560स/0-1-2 बीघा भूमि छंगा व बाबूलाल पुत्रगण भगवानदीन के नाम ग्राम अभिलेखों

नरपाय ग्रा०वा० के
स्तुत करते हुए भूमि
मत की दर से ब्याज
परिवर्तन के मव में
कर मी. मांगा है।
नकर कच्चा के आधार
का प्रतिफल नियमतः

में अंकित है। छंगा की मृत्यु हो गयी है। वसरा का सक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बहादुर
पुत्र छंगा व बाबूलाल दारा भूमि का भावमिक समता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल
रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30
प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता सतीनी सं० 32

वसरा प्लाट नं० 551स/0-2-1-0 बीघा भूमि छोदानी व किन्दा पुत्रगण मोहनलाल
ग्राम वाली के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। छोदानी दारा अपना 1/2 भाग बताते
हुए भूमि का प्रतिफल रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति
में कोई सक्ष्य नहीं दाखिल किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा,
देय होगा।

18-0 बीघा भूमि
का प्रतिफल 20/-
पूर्ण में कोई सक्ष्य
किया जायगा, देय

खाता सतीनी सं० 35

वसरा प्लाट नं० 188/0-5-0 बीघा भूमि पर जीवन कृष्ण पुत्र कुंवर कृष्ण
निवासी तालबाग, तखनऊ के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग
पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
जायगा, देय होगा।

खाना खतोनी सं० 34

88

ससरा प्लॉट नं० 167/1-2-0 बीघा भूमि जगदीश नारायण पुत्र नानू निवासी बांदराह नगर, तखनऊ के नाम ग्राम अभिलेखी में अंकित है। जगदीश नारायण ने अपनी भूमि को भौतिक समता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा। जगदीश नारायण द्वारा आम के पेड़ों की तकदी कर प्रतिफल रु० 24,000/- मांगा है। कृषी का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा, जिसका उल्लेख पर्य नमूना-6 पर किया गया है।

खाना खतोनी सं० 35

ससरा प्लॉट नं० 374/0-3-0 बीघा भूमि जगजीवन सिंह पुत्र स्वामीसिंह के नाम ग्राम अभिलेखी में अंकित है तथा इसी खाने पर अम्बरसिंह पुत्र शिवदरशन सिंह का नाम भी ग्राम अभिलेखी में अंकित है। जगजीवन सिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा अम्बर सिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। इन लोगों का ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य दक्षिण नहीं किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह हिस्से के भुक्तविक देय होगा।

खाता सतौनी सं० 36 व 254

उन पुत्र मन्दू निवासी
शिव नारायण ने अपनी
25/- प्रति वर्ग फुट
की दर से सोलेशियम
है। भूमि का प्रतिफल
तब व सोलेशियम भी
कर ₹० 24,000/-
उल्लेख फार्म नमूना-6

सबसरा प्लॉट नं० 182अ/7-15-3, 182ब/0-15-1, 615/2-11-6, 662/
8-9-2 कीघा भूमि जगजीवन सिंह पुत्र भवारी सिंह के नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर भूमिधर
दर्ज है। जगजीवन सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि को गोमती नगर कान्हेनी
से मिली हुई बनाया है तथा आवागमन के साधन उपलब्ध बताये हैं। अपने मांग पत्र में
यह कहा है कि गाटा संख्या 182 में निजी मलकूप इंजन जिसकी कीमत 28000/- एवं
यूकेलपेटिस के 500 पेड़ों की कीमत लगभग 30000/- बताया है। भूमि का प्रतिफल
₹० 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30
प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में उनके द्वारा कोई
साक्ष्य नहीं दखिल किया गया है। पेड़ों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा। भूमि
का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा तथा नियमानुसार
न्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता सतौनी सं० 38 व 255

उ पुत्र स्वामीसिंह के
अवर्दान सिंह का नाम
कर 50/- प्रति वर्ग
फुट की दर से मांगा
है। अपनी मांग की
जो निर्धारित किया

सबसरा प्लॉट नं० 420/1-1-17-0, 602/1-13-8 कीघा भूमि टीकाराम पुत्र
छेदा के नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर खेती-2 सीरवार अंकित है। टीकाराम अपनी भूमि
के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधाएँ बताते हुए भूमि की बाजार
कीमत ₹० 30/- प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बतायी है। इस प्रकार इनके द्वारा भूमि का
प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व
30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य
नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा
तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम भी देय होगा। उपरोक्त खाता नं० 38 की भूमि के
संबंध में एक आपात पत्र गया प्रसाद पुत्र लछिमम द्वारा दिनांक 17-12-85 को दखिल
की गयी है जिसमें गयाप्रसाद ने यह कहा है कि पार्सी भूमि पर कब्रिस्तान मानिक व कर्मिल
है। सम्पूर्ण भूमि का प्रतिफल मांगा है। गया प्रसाद द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई
साक्ष्य नहीं दखिल किया है। सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश एक माह की अवधि के अन्दर
प्रस्तुत करने पर विचार किया जाना संभव होगा अन्यथा राजस्व अधिलेखों में अंकित कारतकार
को प्रतिफल देय होगा।

खाता खतौनी सं० 39

ससरा नम्बर 595/0-0-6 बीघा भूमि तुलसी पुत्र चन्दाधाम के नाम ग्राम अम्बलेखी में खेपी-2 खीरदार जोक्त है। तुलसी वारा भूमि की कीमत के विषय में कोई मांग नहीं की गयी है। दिनांक 30-9-85 के धारणा पत्र द्वारा केवल कच्चा प्रमाण पत्र व अधिम प्रतिकर की मांग की है। इस संबंध में शपथ पत्र भी नहीं दायित किया है। इनको भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा।

खाता खतौनी सं० 40 क 267

ससरा प्लॉट सं० 193अ/0-12-2-0, 193ख/1-7-18-0, 609/0-19-19, 245/1198/0-3-7 बीघा भूमि ग्राम अम्बलेखी में दुर्गा कला सिंह पुत्र निरवनाथ सिंह के नाम बतौर सीस्कार जोक्त है। दुर्गा कला सिंह ने भूमि को भस्मतिक्रमसमता से सरपूर बताते हुए भूमि की कीमत रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से, 35 प्रतिशत की दर से न्याय, 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है तथा व्यवसाय परिवर्तन के मद में प्रतिकर की जायी धनराशि मांगी है एवं गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है। खरीफ की फसल का प्रतिकर 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है। उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सशय नहीं दायित किया गया है। भूमि को जर्नि से मुक्त करना भरे स्तर से संभव नहीं है। फसल का प्रतिकर देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, नियमानुसार देय होगा तथा न्याय व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

खाता खतौनी सं० 41

ससरा प्लॉट सं० 606/0-9-6-0 बीघा भूमि पर देवी सिंह पुत्र किवनाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अम्बलेखी में बतौर शेण-1 भूमिधार जोक्त है। देवी सिंह द्वारा भूमि का प्रतिकर रु० 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से 12,660 वर्ग फुट भूमि का मुआवजा रु० 1,26,660/- मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर रु० 17,380/- व 30 प्रतिशत सोलेशियम के मद में रु० 43,194/- मांगा है। कुल प्रतिकर की धनराशि 1,87,194/- पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर से न्याय व उसके बाद 19 प्रतिशत की दर से न्याय की मांग की है। उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सशय नहीं दायित किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशियम भी देय होगा।

समता सत्तानी सं० ४२ व २७२

के नाम ग्राम अधिलेखों में कोई मांग नहीं । प्रमाण पत्र व अधिसूचना प्रस्तुत किया है । इनके भूमि

ससरा प्लॉट नं० २५५अ/०-७-१-०, २५५ब/१-०-१-० बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में दुन्ना व रूपन पुत्रगण भागन का नाम अंकित है । उक्त प्लॉट का प्रतिफल पोखेलाल पुत्र रूपनराम द्वारा ३०/- प्रति वर्ग फुट, २० प्रतिशत की दर से व्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गई है तथा दुन्ना द्वारा भूमि का प्रतिफल रु० ३०/- प्रति वर्ग फुट की दर से व व्याज व सोलेशियम की मांग उक्त की भाँति की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दाखिल किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

०-०, ६०९/०-१९-सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह शनिवार से भरपुर ५ प्रतिशत की दर से सहाय परिवर्तन के मद में छोड़ने को कहा है ।

समता सत्तानी सं० ४४

। उनके द्वारा अपनी जर्नल से भुक्त करना फसल का कच्चा नहीं होगा, नियमानुसार देय

ससरा प्लॉट नं० ४५/१-१२-५-०, ३८६/१-१९-६-० बीघा भूमि पर शीमती नन्दी पत्नी लक्ष्मन दास निवासी मंगलखेड़ा जलमबाग, लखनऊ का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । श्रीमती नन्दी द्वारा भूमि का प्रतिफल ५०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा २० प्रतिशत की दर से व्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है व्यापार परिवर्तन में हुई सीतपूर्ति हेतु कुल प्रतिफल का १/२ भाग मांगा है तथा परिवार के सदस्यों को यथा उचित रोजगार व फसल का रूपया ९०,०००/- भी मांगा है । इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सबूत नहीं दाखिल किया गया है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । परिवार के सदस्यों के रोजगार के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करें । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा व्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा ।

संत पुत्र विश्वनाथ सिंह है । देवी सिंह द्वारा फुट भूमि का मुआयजा १७,५८०/- व ३० नराशि १,८७,१९४/- ५ प्रतिशत की दर से श्य नहीं प्रस्तुत किया होगा तथा नियमानुसार

समता सत्तानी सं० ४५ व २८०

ससरा प्लॉट नं० २००/२-१४-४-०, ६६५/१-३-१९, ६६५ब/३-३-३ बीघा भूमि पर ननकउसिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । भूमि को भावीनक समता से भरपुर बताते हुए भूमि का प्रतिफल रु० २०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा १५ प्रतिशत की दर से व्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में उनके द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

साता-सतीनी सं० 49

ससरा प्लॉट नं० 594अ/0-0-6 बीघा भूमि पर नन्दे पुत्र चन्वराम का न. ग्राम अभिलेखों में अंकित है। नन्दे द्वारा भूमि की कीमत के विषय में कोई मांग नहीं रखी है। अपनी आप्रति में यह कहा है कि प्रथी उक्त भूमि का पूर्णतया मालिक, पत्नी व कर्मील है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार दे होगा।

साता-सतीनी सं० 50 व 501

ससरा प्लॉट नं० 181अ/1-12-5, 181अ/2-3-6-0 बीघा भूमि पर नन्दा पुत्र शिवदीन का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। नन्दा द्वारा भूमि का प्रतिकर ₹० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से च्याज व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता-सतीनी सं० 51

ससरा प्लॉट नं० 169/0-13-0 बीघा भूमि पर नन्दा पुत्र शिवदीन व शीमती मङ्गराजा विघवा कीटा व रुचन, कुन्ना पुत्रगण भागू के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित हैं। इन लोगों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता-सतीनी सं० 52

ससरा प्लॉट नं० 262/2-3-0 बीघा भूमि पर नन्दे पुत्र नारायण व शीमती सरजूदेई पत्नी महावीर का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि को भावीनक समता से भरपूर बनाने हुए मांगा गया है तथा 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से च्याज की भी मांग की गयी है। व्यवसाय परिवर्तन से हुई सति पूर्ति हेतु प्रतिकर की जल्दी धनराशि मांगी गयी है, गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा गया है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि को छोड़ा जाना भेरे स्तर से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिकर नियमतः

जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सेलेशियम भी देय होगा।

खाना खतोनी सं० 54 व 305

पुत्र घनश्याम का नाम
में कोई मांग नहीं की
पूर्णतया मालिक, काबिज
है, वह नियमानुसार देय

खसरा प्लॉट नं० 326अ/3-4-16, 327/1-0- ,326ब/0-12-8 बीघा
भूमि पर प्यारे, रामगुलाम व जगन्नाथ पुत्रगण कन्स्ट्रैड का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित
है। भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की गयी है। अपनी मांग
की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सेलेशियम भी देय होगा।

खाना खतोनी सं० 55

बीघा भूमि पर नत्था
का प्रतिफल 20/-
ब्याज व 30 प्रतिशत
में इनके द्वारा कोई
निर्धारित किया जायगा,

खसरा प्लॉट नं० 265/2-5-8-0 बीघा भूमि पर पुतू सिंह पुत्र रामरतन
सिंह व केशवती विधवा पुनतनूसिंह व शम्भुनाथ सिंह पुत्र लाल साहब, कुमारी शुशीला पुत्री
नरायण सिंह व इकबाल बहादुर पुत्र कुंवर बहादुर सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित
है। शम्भुनाथ सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के उत्तर पश्चिम
में 100 मीटर की दूरी पर लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग स्थित है और उसी के तुरन्त
बाद उत्तर प्रदेश ज्ञानास एवं विकास परिषद की पूर्ण विकसित इंदिरानगर आवासीय योजना
उपलब्ध है तथा भूमि के पास बिजली, पानी, शैक्षिक संस्थायें एवं आवासीय सुविधाएँ बताते
हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है, 15 प्रतिशत की दर से
ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की भी मांग की है। फसल का प्रतिफल 5000/-
प्रति बीघा की दर से मांगा है तथा गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है।
इनके द्वारा उक्त भूमि पर अपना हिस्सा 1/3 भाग बताया गया है। इकबाल बहादुर सिंह
व शुशीला ने अपना पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि की स्थिति के संबंध में
बही बतें कही हैं जो ऊपर शम्भुनाथ सिंह द्वारा कही गयी हैं। इकबाल बहादुर सिंह व
शुशीला ने खाना सं० 55 के बाग बताया है तथा विभिन्न प्रकार के 100 पेड़ लगे हुए
बताये गये हैं। इकबाल बहादुर सिंह द्वारा व शुशीला द्वारा उक्त भूमि में अपना-अपना हिस्सा
1/6 भाग बताया है। इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल उक्त मती 20/- प्रति वर्ग
फुट की दर से तथा ब्याज सेलेशियम की भी मांग की है। उपरोक्त सभी मांगकर्ताओं द्वारा
अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि को छोड़ा जाना मेरे
हस्त से संभव नहीं है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया

व शिवदीन व श्रीमती
लेखों में अंकित हैं।
प्रतिफल नियमतः जो

व नरायण व श्रीमती
का प्रतिफल 30/- प्रति
मा गया है तथा 30
भी मांग की गयी है
गयी है, गृह निर्माण
में सहाय नहीं प्रस्तुत
प्रतिफल नियमतः

मांगा है। भूमि का प्रतिफल नियमन जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार हिस्से के आधार पर देय होगा तथा न्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

खता नतीनी सं० 56

ससरा प्लॉट नं० 244/1-1-11 बीघा भूमि पर श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी रामेन्द्र सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा भूमि का प्रतिफल 12/- प्रति वर्ग फुट की दर से, 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। व्यापार परिवर्तन के प्रयत्न में ₹० 50,000/-, परिवार के अध्यापित निकाय में नौकरी व फसल व पेड़ों के प्रतिफल की भी मांग की गयी है। इनके द्वारा अपनी मांग की पृष्ठ में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में विकास प्राधिकरण से सम्पर्क करें। भूमि का प्रतिफल नियमन जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खता नतीनी सं० 57

ससरा प्लॉट नं० 280/1-8-6-0, 277/0-14-10 बीघा भूमि पर श्रीमती पद्मावती पत्नी रामनरेश सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। श्रीमती पद्मावती द्वारा रामनरेश सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास इन्दिरानगर एवं गोमती नगर, संजय नगर जैसी विकसित बस्तियां हैं जहां पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा स्कूल, पो० ऑफिस आदि की सुविधा तथा रेलवे स्टेशन व पिकनिक स्पॉट भी बताये हैं। इस प्रकार भूमि को भावनिक क्षमता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिशत की दर से न्याज नियमानुसार, 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है तथा परिवार के व्यक्ति को अध्यापित निकाय में नौकरी व व्यापार परिवर्तन के प्रयत्न में 50,000/- मांगा है। पेड़ों का प्रतिफल भी मांगा है। बक सं० 277 में पशुशाला, मीठर, मकान आदि स्थित बताये हैं तथा उस नम्बर को गजट से बाहर करने को भी कहा है। अपनी उमत्त मांगों के संबंध में श्रीमती पद्मावती द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नियमानुसार तिरसे के

से सम्पर्क करें। भूमि को भेरे स्तर से छोड़ा जाना संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 60

पुष्पा देवी पत्नी राजेन्द्र भूमि का प्रतिफल 12/- त की दर से सोलेशियम (-), परिवार के अश्विनों ने मांग की गयी है। गया है। फसल का करी के संबंध में विकास त किया जायगा, देय

ससरा नम्बर 251/1-1-0 बीघा भूमि पर श्रीमती पद्मावती पुत्री जाकुर प्रसाद ग्राम वासी के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। श्रीमती पद्मावती द्वारा भूमि के प्रतिफल के संबंध में ग्रहण कही है जो उपरोक्त साता सं० 57 में कड़ी है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 61 व 322

ध्या भूमि पर श्रीमती अंकित है। श्रीमती कहते हैं कि भूमि के हैं जहां पर बिजली, की सुविधा तथा रेलवे नेक क्षमता से भरपूर है तथा 12 प्रतिशत त नियमानुसार, 30 त को अध्यधीन निकाय पेट्रोल का प्रतिफल भी बताये हैं तथा इस के संबंध में श्रीमती प्रतिफल देय न होगा प्राधिकरण, लखनऊ

ससरा प्लॉट नं० 293अ/5-14-3, 293ब/1-2-9-0 बीघा भूमि पर पुन्तूसिंह पुत्र रामरत्न सिंह व श्रीमती केशमती देवी विधवा पुन्तूसिंह शा०बा० के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। पुन्तूसिंह व केशमती द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 63

ससरा प्लॉट नं० 625/1-8-13 बीघा भूमि पर फूल सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। भूमि का प्रतिफल फूल सिंह द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को भी कहते हैं। भूमि का छोड़ा जाना भेरे स्तर से संभव नहीं है। अपनी उचित मांग की पूर्ति में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, यह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 64

ससरा प्लॉट नं० 638अ/0-14-13 बीघा भूमि पर खन्वन पुत्र पसीरे ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। खन्वन द्वारा भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की

र से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई सक्षय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

साता सतीनी सं० 66 व 337

ससरा प्लाट नं० 16अ/0-8-10, 16ब/2-17-25, 324/5-0-18 बीघा भूमि पर विश्राम पुत्र भरोसे का नाम ग्राम जमिलेसो में अंकित है । विश्राम वारा उक्त दोन साता की भूमि के लिये संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है । अपने मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा । ससरा प्लाट नं० 16 का कुल रकबा 3-6-0 बीघा है परन्तु प्रस्तावित व नोटीफाइड रकबा 3-5-15 है । इस प्रकार ससरा नं० 16 का प्रतिफल 3-5-15 बीघा भूमि का ही देय होगा ।

साता सतीनी सं० 67 व 339

ससरा प्लाट नं० 659अ/0-2-15, 654/7-2-14, 544/0-11-0, 545 0-16-0, 659स/0-16-0 बीघा भूमि पर बानादीन पुत्र मेहूर का नाम ग्राम जमिलेसो में अंकित है । बानादीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास इन्दौर नगर एवं गोंयती नगर व संजय नगर जैसी विकसित कमलोनियां हैं जहां पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा बैंक, स्कूल, पो०अफिस आदि की सुविधाये उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिशत ब्याज नियमानुसार, 30 प्रतिशत सोलेशियम नियमानुसार व परिवार के व्यक्ति को अर्ज्याहित निष्कर में नौकरी तथा व्यापार परिवर्तन के हिसाब से ₹० 50,000/- की मांग की है । उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षय नहीं प्रस्तुत किया गया है । नौकरी के संबंध में अर्ज्याहित निष्कर लक्ष्मण विकास प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित करें । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

साता सतीनी सं० 70

ससरा प्लाट नं० 566/0-2-10, 423/13-1-17 बीघा भूमि पर श्रीमती विट्ठी कुंवर मन्नी जगदेवसिंह निवासी बाहरगांव परगना - मडोना, तहसील - मल्लिहाबाद,

कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
देय होगा ।

324/5-0-18 वीधा
विश्राम द्वारा उक्त दोनों
मांग पत्र द्वारा भूमि का
से ब्याज व सोलेशियम
कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
देय होगा । ससरा
टीफरदंड रकमा 3-5-15
देय होगा ।

44/0-11-0, 545/
ग नाम ग्राम अधिलेखों
है कि भूमि के पास
है जहां पर बिजली,
जस जादि की सुविधायें
से मांगा है तथा 12
न ब्याज नियमानुसार,
त निष्काय में नोकरी
। इनके द्वारा अपनी
के संबंध में अध्यापित
प्रतिफल नियमतः जो
देय होगा ।

II भूमि पर श्रीमती
हसीत - मल्लहाबाद,

जिला लखनऊ का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । श्रीमती विट्ठी कुंवर द्वारा भूमि का
प्रतिफल रु० 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । मांग पत्र के साथ बलौनी
पत्रों 1386 से 1391 भी प्रस्तुत की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं
दाखिल किया है ।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपतित श्रीमती सम्पत्तादेवी पत्नी स्व० शिवदुलारे
सिंह द्वारा दखिल किया गया है जिसके द्वारा उनोंने कहा है कि अर्जित की जा रही भूमि
13-4-7 वीधा में 4 वीधा भूमि पर पेरा कब्जा 20 वर्षों से चला आ रहा है और कहा
है कि भूमिधारी ठक हस्तगत हो गये हैं । इस प्रकार 4 वीधा का प्रतिफल दिया जाय ।
शेष भूमि के प्रतिफल के संबंध में कहा है कि वह श्रीमती विट्ठी कुंवर को दिया जाय ।
श्रीमती सम्पत्ता देवी द्वारा भी भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया
है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है । श्रीमती सम्पत्ता देवी द्वारा अपनी
आपतित की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । केवल एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया
है जो सक्ष्य के रूप में सहायक सिद्ध नहीं होता है । सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश
एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने पर प्रतिफल दिये जाने के संबंध में जीयम कार्यवाही की
जायेगी अन्यथा राजस्व अधिलेखों में अंकित काश्तकारों को प्रतिफल का भुगतान नियमानुसार
कर दिया जायेगा ।

भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा तथा ब्याज
व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा ।

स्वाता बलौनी सं० 74

ससरा पत्र नं० 24/0-14-16, 349/0-11-0, 364/1-7-19, 374/
0-10-0, 376/1-7-0 वीधा भूमि पर भगवानवीन पुत्र वीरभद्र या०वा० का नाम बनेर
श्रेणी-1 भूमिधार अंकित है । भगवानदीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का
प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व
30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इनके द्वारा
कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा,
देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

माता सतीनी सं० 75

ससरा प्लॉट नं० 257/2-5-0 बीघा भूमि पर श्रीमती मानमती सिंह परमि प्लॉट लेफ्टीनेन्ट एस०के० सिंह निवासी प्री०-10, विवेकानन्द पुरि, लखनऊ का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । शीमती मानमती द्वारा कोई मांग पत्र कबिल नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतीनी सं० 76

ससरा प्लॉट नं० 607/1-13-8-0 बीघा भूमि पर मिथारी व रामजधर पुत्रगण कलकत्ता प्रान्त का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । संयुक्त मांग पत्र दिनांक 20-8-85 द्वारा मिथारी व रामजधर ने भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । यह भी कहा है कि व्यवसाय परिवर्तन के मद में रु० 50,000/- व नोकरी भी दी जाये । उक्त मांगों की प्रिण्ट में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है । नोकरी के संबंध में अधिलेखित निष्काय लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित किया जाय । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतीनी सं० 77 व 361

ससरा प्लॉट नं० 3933/1-15-17, 10/3-12-19, 3933/2-3-8 बीघा भूमि पर भरोसे पुत्र रिसाल का नाम बतौर श्रेणी-1 भूमिधर ग्राम अधिलेखों में दर्ज है । भरोसे द्वारा उक्त दोनों प्लॉटों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । व्यवसाय परिवर्तन के मद में प्रतिफल की आधी धनरक्षा की मांग की है । अपनी मांग की प्रिण्ट में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतीनी सं० 81

ससरा प्लॉट नं० 75/0-9-0 बीघा भूमि पर महीपति सिंह पुत्र चौदण्ड सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । महीपति सिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा सोलेशियम व

व्याज की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई राशय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमन: जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाना खतोनी सं० ४६ व ३७३

खसरा नं० ४६३३/३-१७-७, ४६६/४-३-७-०, ४६७/१-१५-०, ४६१४/३-१३-५, ४०/०-३-१७ बीघा भूमि पर मेकूलाल पुत्र गयादीन का नाम बतौर भूमिधर व खाता ३७३ बतौर सीरदार ग्राम अमिलेखों में अंकित है । मेकूलाल ने उक्त दोनों खातों के प्रथक-प्रथक रूप से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि लखनऊ पैजाबाब रोड के समीप स्थित है तथा पास में रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है । भूमि का प्रतिफल २४/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा १५ प्रतिशत की दर से व्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । खरीफ की फसल की कीमत रु० ३०,०००/- मांगा है तथा पेरों का भी प्रतिफल चाहता है । भूमि संख्या ४० को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में कहा है और यह भी कहा है कि खसरा नम्बर ४० की भूमि पर मेरे निवास स्थान का अंग है तथा सामाजिक कार्य में भी जाती है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई राशय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि को अर्जन से मुक्त करना मेरे हित से सम्भव नहीं है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का फसना नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमन: जो मेरे द्वारा निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमन-नुसार व्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

श्री भानमती सिंह पत्नी लखनऊ का नाम ग्राम ल नहीं किया गया है ।

श्री व रामअधर मुजगण पत्र दिनांक २०-४-४५ की दर से मांग है सोलेशियम की मांग की ०००/- व नौकरी भी है । नौकरी के संबंध क्या जाय । भूमि का

३९३४/२-५-४ बीघा अमिलेखों में दर्ज है । भूमि का प्रतिफल ३०/- व ३० प्रतिशत की भी प्रतिफल की जायी है प्रस्तुत किया है ।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपत्ति पत्र मेकू पुत्र छंगा निवासी ग्राम जियामऊ, परगना व तहसील व जिला, लखनऊ ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि पर १/२ भाग उजरदार का है तथा १/२ भाग मेकू का बताया है । मेकू पुत्र छंगा द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति का उल्लेख खाता खतोनी सं० १७ पर किया जा चुका है । उसी भूखंड इस खाते की भूमि के संबंध में भी पढ़ा जाय ।

खाना खतोनी सं० १४

खसरा नं० ५४/०-१३-१७ बीघा भूमि पर मोहन लाल पुत्र सरजू का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है । मोहन लाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल ३०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा २० प्रतिशत की दर से व्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि

सिंह पुत्र चंद्रका सिंह मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा सोलेशियम व

में कोई सक्षय नहीं दर्शाया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ततया नियमानुसार व्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता खतौनी सं० 95

ससरा प्लॉट नं० 29/2-6-7-0 बीघा भूमि पर मेकलाल पुत्र बाबुलाल का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। मेकलाल पुत्र बाबुलाल निवासी गोपालपुर मन्सरा मोहनमऊ, परमना व नहसील नवाभराज, बाराबंकी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि प्रार्थी की भूमि काफी उपजाऊ है जिसमें मौजूदा समय में खरीफ की फसल बोयी हुई है जिसकी कीमत रु० 10,000/- प्रति बीघा बतायी है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षय नहीं दर्शाया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतौनी सं० 101

ससरा प्लॉट नं० 496/1-11-3-0 बीघा भूमि पर रामहेतु पुत्र उमराव राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है। रामहेतु ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रार्थी की भूमि रोमती नगर से मिली हुई है। प्रार्थी की भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं जिस कारण उसकी भूमि काफी कीमती है। भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग भी की है अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षय नहीं दर्शाया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतौनी सं० 106

ससरा प्लॉट नं० 338/2-9-13-0 बीघा, 560स/0-1-2-0 बीघा भूमि पर रामपाल पुत्र भगवानदीन ग्राम वासी का नाम बतौर भूमिधर ग्राम अभिलेखों में दर्ज है। रामपाल द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में कहा गया है कि भूमि काफी उपजाऊ है, मौजूदा समय पर खरीफ की फसल बोयी हुई है जिसकी कीमत रु० 10,000/- प्रति बीघा बतायी है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर

निर्धारित किया जायगा,

से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की री मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

राज पुत्र बाबूतल्ल का लपुर मजरा मोहबामऊ, करते हुए यह कहा है कि फसल बोयी हुई है प्रतिफल 20/- प्रति

खाना खतोनी सं० 107

खसरा प्लॉट नं० 89/2-4-9-0, 332/3-0-18-0, 395/3-11-4-0

वीधा भूमि पर राम जियावन पुत्र छेदा राम दासी का नाम राम अभिलेखों में अंकित है । राम जियावन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी उपजाऊ है, खसरा नं० 89 पर बताया है कि एक पक्कड़ कुओं 20 x 20 फुट का एक पक्कड़ कमरा जिसमें चक्की लगी हुई है । फनेखान मेरे भाई रामनाथ के नाम है । एक पेड़ आम तथा कलस्टर पेड़ 10 बताये हैं । इस प्लॉट की 10 बिस्वा भूमि को जर्जन से मुक्त करने को कहा है । भूमि को लखनऊ फैजाबाद रोड के समीप बताया है तथा रेलवे स्टेशन, पाठशाला व बाजार जीवि जमीन के पास बताया है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं दक्षित किया है । भूमि को मेरे हस्त से छोड़ा जाना संभव नहीं है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कब्जा नहीं लिखा गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

30 प्रतिशत की दर सब्य नहीं दक्षित किया गया है । भूमि

खाना खतोनी सं० 108

खसरा प्लॉट नं० 96/3-10-16, 329/1-10-5-0, 352/0-14-17

वीधा भूमि पर रामनाथ पुत्र छेदा निवन्नी लक्ष्मी का नाम राम अभिलेखों में अंकित है । रामनाथ ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि की स्थिति के बारे में कही बातें कही हैं जो ऊपर राम जियावन द्वारा खाना सं० 107 में कही हैं । भूमि का प्रतिफल भी उसी दर से मांगा है परन्तु इनके द्वारा भी अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं दक्षित किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

राज पुत्र उमराव राम अपना मांग पत्र प्रस्तुत । प्राणी की भूमि के निष्कारण उसकी दर से मांगा है तथा यह मांग भी की है का प्रतिफल नियमतः

1-2-0 वीधा भूमि अभिलेखों में दर्ज है। ऊ है, मौजूदा समय में वीधा बताया है। 5 प्रतिशत की दर

साला सतीनी सं० 109

ससरा प्लॉट नं० 74/1-16-9, 400/1-9-5-0 बीघा भूमि राम जियावन व रामनाथ पुत्रगण छेडा तियासी तखत का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है । राम जियावन व रामनाथ द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि कांसी तपकाऊ है । प्लॉट नं० 74 में बाग बताया है जिसमें विभिन्न प्रकार के 200 पेड़, ल्यासीय भवन, शंकर जी का मन्दिर तथा 4 एकड़ क्वॉरे जो वर्ष 1960 से बनी हुई बताया है । इस प्रकार इस भूखण्ड को छोड़ने के लिये कहा है तथा ससरा नं० 400 पर 15 पेड़ जाम के बताये हैं । भूमि का प्रतिशत 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सत्य नहीं दर्शाया है । भूमि का छोड़ा जाना मेरे हतर से संभव नहीं है । भूमि का प्रतिशत नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साला सतीनी सं० 110

ससरा प्लॉट नं० 527/1-4-1 बीघा भूमि पर रामकली पत्नी स्वयंवर सिंह भाप वाली का नाम राम खीमसेखों में अंकित है । श्रीमती जगदेई पत्नी चन्द्रमाल सिंह ने उक्त प्लॉट नं० के विषय में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि श्रीमती रामकली पत्नी स्वयंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है । उनकी सम्पत्ति की वसीयत किषाी के नाम थी जिसके अस्तित्व सरिज के आवेग श्रीमान एस०डी०ओ०, डिवा० 12-10-72 में यह भूमि संख्या सूट गयी थी जिसके लिये इस प्रकरण श्रीमान एस०डी०ओ० लखनऊ की अदालत में विवाराधीन बताया है । श्रीमती जगदेई द्वारा भूमि का प्रतिशत 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी मांगों के संबंध में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिशत नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह श्रीमती जगदेई पत्नी चन्द्रमाल सिंह को उसी द्वाा में देय होगा जब वह अपने नाम का इंतबाब सतीनी प्रस्तुत करेगी ।

साला सतीनी सं० 112

ससरा प्लॉट नं० 538/0-0-13-0 बीघा भूमि पर रामदयाल पुत्र हीरालाल प्रा०वा० का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है । कोई मांग पत्र/अपत्ति पत्र नहीं दर्शाया है । भूमि का प्रतिशत नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 113

बीघा भूमि राम जियावन
अंकित है। राम जियावन
मि काफी उपजाऊ है।

पेड़, आवासीय भवन,
हुई बताया है। इस
00 पर 15 पेड़ आम
गा है तथा 15 प्रतिशत
की है। अपनी मांग
ना मेरे स्तर से स्क्रोव
गा।

श्री पत्नी स्वयंवर सिंह
पत्नी चन्द्रभाल सिंह ने
है कि श्रीमती रामकली
त फिपली के नाम थी
10-72 में यह भूमि
खनऊ की अवगत में
/- प्रति वर्ग फुट की
की दर से सोलेशियम
स्तुत किया है। भूमि
पत्नी चन्द्रभाल सिंह
करेंगी।

मवयाल पुत्र हीरालाल
मित्त पत्र नहीं दारिदल
गा, वह नियमानुसार

खसरा प्लॉट नं० 289अ/1-5-7-0 बीघा भूमि पर राजेश्वरी उपनाम लत्ती
पुत्री जगदेव सिंह के नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है। उक्त खसरा प्लॉट
नं० के संबंध में रामकली पत्नी बाबूसिंह ने आपत्ति की है कि खसरा प्लॉट नम्बर 289अ/
1-5-7-0 बीघा भूमि श्रीमती राजेश्वरी उपनाम लत्ती पुत्री जगदेव सिंह निवासी ग्राम भरवारा,
तखनऊ से दिनांक 18-11-74 को जोरिये रिकस्टर्ड बैनामा मु० 1500/- में खरीदा है।
इस संबंध में सक्ष्य स्वरूप बैनामा की फोटो स्टेट कपी व खतोनी भी शक्ति की है। प्रस्तुत
खतोनी में यह अदेश है कि आदेशानुसार श्रीमान ना०त०, चिन्कट मु० नं० 615/तौ०फै०
18-7-85 खाता सं० 113 से खसरा नं० 289अ रकबा 1-5-7-0 बीघा द्वारा 60 स
के अनुसार विक्रेता श्रीमती राजेश्वरी उर्फ लत्ती पुत्री जगदेव सिंह निवासी भरवारा का नाम
स्विकृत करके केत श्रीमती रामकली पत्नी बाबूसिंह निवासी भरवारा का नाम बतौर भूमिधर
सं० दर्ज हो। रामकली द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया
है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की
गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल
नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खाता खतोनी सं० 114

खसरा प्लॉट नम्बर 474अ/1-7-18-0 बीघा भूमि रम्मा पुत्र मेकू निवासी
तखवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है। रम्मा पुत्र मेकू ने अपना मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी उपजाऊ है जिसमें प्रोज़ुदा सगय में खरीफ
की फसल बोई है जिसकी कीमतत रु० 10,000/- प्रति बीघा है। भूमि को तखनऊ फेजाबाद
रोड के समीप स्थित बताया है तथा कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, पाठशाला व
बाजार आदि की सुविधा है। भूमि का मूल्य 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है।
15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है।
अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं शक्ति किया है। भूमि का प्रतिफल
जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतोनी सं० 115

खसरा प्लॉट नं० 319अ/2-6-11-0 बीघा भूमि पर राधेलाल पुत्र मेकू नि०
तखवा का नाम बतौर भूमिधर ग्राम अधिलेखों में अंकित है। राधेलाल द्वारा भूमि के प्रतिफल

के संबंध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। केवल अग्रिम प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शर्तना पत्र व श्रावण पत्र प्रस्तुत किया है। इनके भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।

खाता खतोनी सं० 1-16

ससरा प्लॉट नं० 613/1-10-1-0, 614/0-7-12 बीघा भूमि पर रामनरेश सिंह पुत्र अमर सिंह ग्राम वासी का नाम अंकित है। रामनरेश सिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि भूमि के पास इन्दिरा नगर एवं गोमती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन अद्वैत की भी सुविधाएँ उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 25% प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैरिजम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं क्लियर किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतोनी सं० 120 व 472

ससरा प्लॉट नम्बर 627अ/1-14-12-0, 627ब/1-0-0 बीघा भूमि पर रामेश्वर सिंह पुत्र गुरुदत्त सिंह छावा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-1 भूमिधर अंकित है। रामेश्वर सिंह द्वारा उपरोक्त दोनों खतों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी उपजाऊ है तथा कृषि/मत्तन दोनों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। भूमि को गोमती नगर से भिनी हुई बताया है। भूमि के पास बाजार एवं आवागमन हेतु आवागमन के सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध बताते हुए भूमि का मूल्य 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैरिजम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतोनी सं० 124 व 474

ससरा प्लॉट नं० 202/2-11-5, 664अ/3-1-1, 664ब/2-11-1 बीघा भूमि पर राजू सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर सीरदार/भूमिधर अंकित है। उक्त दोनों खतों के संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए राजू सिंह

प्रतिकर प्राप्त करने हेतु
प्रतिकर नियमतः निर्धारित

नि मांग की है कि भूमि के अत्यन्त निकट में चारों तरफ कालोनियां, व्यापारिक एवं राजकीय
प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थाएँ स्थित हैं तथा नमीप में ही पीथिया की महानतम कालोनी इन्दिरा
नगर व हिन्दुस्तान परोनाटिक्स फेक्ट्री भी धमताया है । भूमि को विकसित उच्चवर्गीय भूमि
बताते हुए रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिकर तथा 15 प्रतिशत की
दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की
पुष्टि में उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

क्षीप्य भूमि पर रामनरेश
ह द्वारा अपना मांग पत्र
व गोमती नगर, संजय
के साधन उपलब्ध हैं
एवं उपलब्ध बताते हुए
प्रतिशत अनिश्चित प्रतिकर
त की दर से सोलेशियम
प्रस्तुत किया है । भूमि

सन्तान सं० 128

संख्या प्लॉट नं० 106/3-6-16 क्षीप्य भूमि पर रघुनाथ, हीरालाल, सियाराम
व रामलालन पुत्रगण नोबे ग्रा०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर बेणी-1 भूमिपर अंकित
है । उक्त संख्या नम्बर के संबंध में सियाराम पुत्र हुबलाल ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा यह
सूचित किया है कि प्रार्थी की उक्त प्लॉट में 1/2 भाग का हिस्सा है, 1/2 भाग में रघुनाथ,
हीरालाल व रामलालन का बनाया है । इस संबंध में सियाराम ने एक शपथ पत्र व बेनाया
की फोटो कापी भी दक्षिण की है । शपथ पत्र में यह कहा है कि प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि
का जाया हिस्सा रघुनाथ, हीरालाल पुत्रगण जुगती व रामलालन पुत्र नोबे निवासी भरधारा
को बेचा था । प्रस्तुत बेनामे से यह ज्ञात होता है कि सियाराम व सीताराम ने भाई हैं
जिसमें से सियाराम ने उक्त प्लॉट का 1/2 भाग उपरोक्त व्यक्तियों के हक में बेच दिया
है । शपथ पत्र में सियाराम ने यह कहा है कि शपथी को यह हिस्सा अपने भाई सीताराम
की मृत्यु के बाद उसका वारिस होने के नाते मिला है । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला
गया कि सियाराम ने उक्त प्लॉट का 1/2 भाग जो उसके हिस्से में था, उसको उक्त व्यक्तियों
के हक में बेच दिया है और 1/2 भाग जो उसके भाई सीताराम के हिस्से में था, उसकी
मृत्यु के बाद वारिस होने के नाते मिला है, का ही प्रतिकर सियाराम मांग रहे हैं । कल्पित
के संबंध में संशोधित सन्तान प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार यह पाया गया है कि रघुनाथ
व हीरालाल की कन्दयत्त जुगती है, रामलालन की नोबे है तथा सियाराम की हुबलाल है।
सियाराम द्वारा भूमि का प्रतिकर 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20
प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी
मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
किया जायगा वह उक्त कायदाकारों में हिस्से के अनुसार देय होगा ।

0-0 क्षीप्य भूमि पर
बतौर बेणी-1 भूमिपर
। पत्र प्रस्तुत करते हुए
अत्यन्त उपयोगी है ।
एवं जावास हेतु आवश्यकता
फुट की दर से मांग
सोलेशियम की भी मांग
। भूमि का प्रतिकर

664/2-11-1 क्षीप्य
क्षेत्रों में बतौर हीरालाल/
पुत्र करते हुए रजिस्ट्रार

खाता खतोनी सं 130

ससरा प्लाट नं० 8/1-9-0 बीघा भूमि पर रामकुंवर पुत्र शिवदयाल तलवा का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । रामकुंवर द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर हुए मांग की है कि भूमि काफी उपजाऊ है । भूमि पर विभिन्न प्रकार के पेड़ बंताये भूमि को लखनऊ फैजाबाद रोड के समीप स्थित बताया है तथा रेलवे स्टेशन, पाठशा नजार आदि की सुविधाये उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं इतिहा किया है । भूमि प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 131

ससरा प्लाट नं० 47/0-16-0, 345/1-18-3, 396/1-9-10 की भूमि पर रामसुचित व रामनरेश व प्रेमचंद व सुरेश पुत्रगण सन्तराम शास्य वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 135 व 509

ससरा प्लाट नं० 196/0-18-16, 195/0-18-17 बीघा भूमि पर घनीराम रामकुंवर व रामलखन पुत्रगण लोचन राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । उपरोक्त दोनों खातों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि फैजाबाद लखनऊ रोड बिनहट कस्बा, पच०प०पल० तथा राम सागर मिश्र कालोनी के निकट है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग के संबंध में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 137

ससरा प्लाट नं० 19/4-15-3-0, 328/4-15-0, 416/9-8-5 बीघा भूमि पर शिवदयाल पुत्र दुर्गा नि० शा० तलवा का नाम ग्राम अधिलेखों में खतोरी भूमिधर अंकित है । शिवदयाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि पार्सी की

भूमि काफी उपजाऊ है। भूमि नं० 19 पर द्यूबखेत बताया है तथा 326 में। आम
कुंवर पुत्र शिवदयाल नि०
मा मांग पत्र प्रस्तुत करते
प्रकार के पेड़ बताये हैं।
रेलवे स्टेशन, पाठशाला,
10/- प्रति वर्ग फुट की
गत की दर से सोलेशियम
ल किया है। भूमि का

भूमि काफी उपजाऊ है। भूमि नं० 19 पर द्यूबखेत बताया है तथा 326 में। आम
धन, 12 शीशम पेड़ लगे बताया है। नलकूप व उसके पास लगभग 8 बिस्वा भूमि व
पक्क बना कमरा जर्जन से युक्त करने हेतु कहा है। अपनी भूमि को फैजाबाद-लखनऊ रोड
के समीप बताते हुए कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार आदि की
सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है।
अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि को छोड़ा जाना मेरे हित
से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा
तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता सन्तानी सं० 139

396/1-9-10 बीघा
ग्राम धारी का नाम
प्रस्तुत नहीं किया गया

सबसरा प्लाट नं० 260/3-4-6, 489/13-4-11 बीघा भूमि पर शम्भूनाथ
सिंह पुत्र लालसाहेब साठवा० का नाम ग्राम अभिलेखों में धनेर भूमिधर दर्ज है। शम्भूनाथ
सिंह द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की गई है कि भूमि के चारों तरफ आवासीय
सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार भूमि आवासीय उद्देश्य की भूमि हो गयी है। भूमि
को लखनऊ फैजाबाद रोड के नजदीक बताया है तथा यह कहा है कि पास ही में उ०प्र०
आवास विकासपरिषद की पूर्ण विकसित हीरारा नगर आवासीय योजना है। इसके द्वारा भूमि
का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। 15 प्रतिशत की दर से ब्याज
व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में
शम्भूनाथ सिंह द्वारा कोई सहाय नहीं दाखिल किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता सन्तानी सं० 142

बीघा भूमि पर धनीराम,
भलेखों में अंकित है।
भूमि फैजाबाद लखनऊ
निष्कट है। भूमि का
दर ब्याज व सोलेशियम
भी प्रस्तुत किया है।
तथा नियमानुसार ब्याज

सबसरा प्लाट नं० 17/3-3-5-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रीपाल पुत्र
ईश्वरदीन नि० तलवा का नाम अंकित है। श्रीपाल की मृत्यु हो चुकी है। रामबहादुर पुत्र
श्रीपाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। रामबहादुर द्वारा धरासत का सहाय इंत्याज
सन्तानी भी प्रस्तुत की गयी है। रामबहादुर द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट
की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से
सोलेशियम की भी मांग की गयी है तथा धान की फसल व भी प्रतिफल 50 एक लाख मांगा है।

416/9-8-5 बीघा
लेखों में धनेर भूमिधर
की है कि प्रार्थी की

अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियम जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त भूमि के संबंध में गैदालाल, रामलखन, राम उजागर द्वारा एक सं-
 आपत्त प्रस्तुत की गयी है जिसमें शंकरा खानदान दिया गया है। शंकरे के अनुसार श्रीपा-
 लप्रसाद, गैदालाल पुत्रगण ईश्वरदीन सगे भाई हैं। श्रीपाल व सताप्रसाद की पु-
 त्री बुरी है। श्रीपाल का वरिष्ठ उनका पुत्र रामबहादुर व माता प्रसाद के वरिष्ठ राम ल-
 व रामउजागर उनके लड़के हुए। आपत्त पत्र में कहा गया है कि ईश्वरदीन ने आ-
 जीवन काल में भूमि संख्या 17 रकबा 3-3-6 बीघा खरीया था। उस समय ईश्वरदे-
 का एक पुत्र श्रीपाल बालीग था तथा माता प्रसाद व गैदालाल नाबालीग थे। उस को-
 ईश्वरदीन ने उक्त भूमि को श्रीपाल के नाम रजिस्टर्ड बनाया कर दिया था। ईश्वरदे-
 के मरने के उपरान्त स्व० सताप्रसाद के लड़के रामलखन व राम उजागर तथा गैदालाल बराम-
 बरकर हिस्से के कब्ज रहे और आज भी हैं। ईश्वरदीन के मरने के उपरान्त आपसी बंटवा
 1/3 भाग के अनुसार हो गया था जिसके अनुसार सभी लोग कब्ज हैं। आपत्तकर्ता
 द्वारा की गयी उक्त आपत्त के संबंध में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। सक्ष्य प्रस्त-
 करने की दशा में ही प्रतिफल दिया जाना संभव होगा।

खाना खतौनी सं० 143

खसरा प्लॉट नं० 276/0-15-0 बीघा भूमि पर श्रीमती सिंह, पत्नी शंकर-
 लख सिंह, ग्रामवासी का नाम राजव अमितेवों में अंकित है। श्रीमती सिंह ने अपनी मा-
 पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि डीवर नगर एवं गोमती नगर, संजय नगर जे-
 यिकसित कॉलोनीयों के पास है। भूमि के पास रेलवे स्टेशन, बिजली, पानी, यातायात
 साधन उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 25/- प्रति बर्ग फुट की दर से मांग
 है। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल, 15 प्रतिशत की दर से म्याज व 30 प्रतिशत व
 दर से सोलेशिफ्ट की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तु-
 किया है। भूमि का प्रतिफल नियमन: जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाना खतौनी सं० 145 व 541

खसरा प्लॉट नं० 596अ/0-4-5, 596ब/0-14-0-0 बीघा भूमि पर सीताराम
 नोमीनाल, राजाराम, विशेश्वर, साडेबहीन पुत्रगण दिल्लीबाज ग्रामवासी का नाम ग्राम अमितेवों

भूमि का प्रतिष्ठापन नियमन बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । उक्त भूमि के संबंध में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि भूमि लखनऊ फेजाबाद रोड के समीप है तथा भूमि का एच0एच0एल0 व रामसागर मिश्र नगर कालोनी के नजदीक बताते हुए भूमि का प्रतिष्ठापन 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा व्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार मांगा है । अपनी उक्त मांगों की पूर्ति में कोई सक्ष्य इन लोगों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिष्ठापन नियमन: जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

उक्त भूमि का प्लान नं० 146 व 546
 उस समय ईश्वरदीन ससरा प्लाट नं० 262/3-10-9, 283/1-4-12, 206अ/0-12-1, 287/1-6-13, 286ब/2-11-0 वीधा भूमि पर सूर्य मोहन सिंह, हरिष सन्धु सिंह बालिग, ईश्वरदीन बहादुर सिंह ना०वा० आयु 14 वर्ष पुत्रगण शंकर कल्या सिंह संरक्षिका श्रीमती सिंह नामर तथा गैदाता बरानरामा का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । उपरोक्त अंकित काश्तकारों द्वारा के उपरान्त आपसी वंशवारागत दोनों खालों की भूमि के संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि विजय है । आप्रतिष्ठापन के पास झींदरा नगर, गोमती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कालोनियाँ हैं जहाँ पर विजली, किया है । सक्ष्य प्रस्तुत नहीं, यातायात के सभी साधन उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिष्ठापन 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिष्ठापन व 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं दाखिल किया है । भूमि का प्रतिष्ठापन नियमन: जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

श्रीमती सिंह, पत्नी शंकर पत्नी सिंह ने अपनी मांग नगर, संजय नगर जैसी नली, पान्डी, यातायात के 10-5-0, 572/0-8-10, 560ब/0-2-0 वीधा भूमि पर सूर्य मोहन सिंह, हरिष चन्दर सिंह बालिग व विजय बहादुर सिंह ना०वा० आयु 15 वर्ष पुत्रगण शंकर कल्या सिंह संरक्षिका श्रीमती सिंह नामर व रामनरेश सिंह व महाराजबहा सिंह पुत्रगण अम्बर, सिंह व राकेश सिंह, दिनेश सिंह ना०वा० आयु 17 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र सिंह संरक्षिका श्रीमती पुष्पा देवी नामा० का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । सूर्य मोहन सिंह ने उक्त दोनों खालों के संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/4 का तिहाई हिस्सा की मांग की है । भूमि का प्रतिष्ठापन 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है, रामनरेश, महाराज कल्या नाम भूमि पर सीताराम, सिंह, मोरेश चन्दर सिंह, राकेश सिंह द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिष्ठापन का नाम ग्राम अभिलेखों

श्रीमती सिंह, पत्नी शंकर पत्नी सिंह ने अपनी मांग नगर, संजय नगर जैसी नली, पान्डी, यातायात के 10-5-0, 572/0-8-10, 560ब/0-2-0 वीधा भूमि पर सूर्य मोहन सिंह, हरिष चन्दर सिंह बालिग व विजय बहादुर सिंह ना०वा० आयु 15 वर्ष पुत्रगण शंकर कल्या सिंह संरक्षिका श्रीमती सिंह नामर व रामनरेश सिंह व महाराजबहा सिंह पुत्रगण अम्बर, सिंह व राकेश सिंह, दिनेश सिंह ना०वा० आयु 17 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र सिंह संरक्षिका श्रीमती पुष्पा देवी नामा० का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । सूर्य मोहन सिंह ने उक्त दोनों खालों के संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/4 का तिहाई हिस्सा की मांग की है । भूमि का प्रतिष्ठापन 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है, रामनरेश, महाराज कल्या नाम भूमि पर सीताराम, सिंह, मोरेश चन्दर सिंह, राकेश सिंह द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिष्ठापन का नाम ग्राम अभिलेखों

40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । रामनरेश सिंह द्वारा एक सूचक रूप से पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा उन्होंने भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट से मांगा है । उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल की की गयी है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम भी मांग की गयी है । उन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं किया है । भूमि का प्रतिफल नियमित जो निर्धारित किया जायेगा, वह हिस्से के देय होगा ।

सात खतौनी सं० 149 व 549

सूचक प्लॉट नं० 610अ/0-18-1, 610अ/1-2-17 बीघा भूमि पर लाल व छोटे लाल पुत्रगण मैकू का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर/सीरदार है । छोटेलाल व सुन्दर लाल द्वारा उपरोक्त दोनों खतौनी की भूमि के संबंध में संयुक्त पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि गोमती नगर से मिली हुई है । फक्की सड़क तक गयी हुई है । भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन के साधन उपलब्ध हैं जो भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 % की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य उन लोगों द्वारा नहीं दिया गया है । भूमि का प्रतिफल निजो निर्धारित किया जायेगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

सात खतौनी सं० 150 व 550

सूचक नं० 637अ/0-14-3, 637अ/3-2-18 बीघा भूमि पर सुखदेव पुत्र भावनाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर व सीरदार है । सुखदेव सिंह ने उपरोक्त दोनों खतौनी के संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं, भूमि को काफी कीमती बताते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल निजो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा ।

साता सतीनी सं० 156

ससरा प्लाट नं० 199/2-9-11 बीघा भूमि पर हरिस चन्द्र सिंह पुत्र नरसिंह व उगा पुत्र जुलाही ग्राम वाली का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर भूमिधर है। हरिस चन्द्र सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 40/- वर्ग फुट की दर से मांगा है।

उगा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से न्याय की मांग की है। उक्त प्लाट नं० की 1/2 भाग भूमि के संबंध में ज्ञान रायनारायण, सस्ता अ. सुनीसाल द्वारा संयुक्त अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह कहा है कि ससरा नं० 199/2-9-11 का 1/2 भाग उगा पुत्र जुलाही से सरीदा है जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। उक्त अपील का मापता न्यायालय तहसीलदार के विधायी है। रजिस्ट्री की फोटो कपी दस्तखत की गयी है, जिसके अनुसार संदर्भित भू का 1/2 भाग उगा पुत्र जुलाही द्वारा बेचा गया है। भूमि का प्रतिफल उसी वसा में अपील कर्ताओं के देय होगा जब वह अपने नाम दर्जित सबरज करके इत्तना सतीनी प्रस्तु करेंगे। 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल हरिस चन्द्र सिंह पुत्र संकर नरसिंह को नियमत जो निषेधित किया जायगा, देय होगा।

साता सतीनी सं० 158 व 588

ससरा प्लाट नं० 185अ/2-0-11, 419/4-2-18, 185अ/0-17-1 बीघा भूमि पर हीगूसिंह, मानूसिंह, हरिज्योसिंह व शिववीर सिंह पुत्रगण बाबूसिंह यादव का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर भूमिधर / सीरदार अंकित है। हीगूसिंह, मानूसिंह हरिचन्वर सिंह व शिववीर सिंह ने प्रथक-प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। मा सिंह द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा अन्य लोगों द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा है। इन लोगों द्वारा अपना बराबर-बराबर 1/4 भाग का हिस्सा बताया है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई मस्य नहीं प्रस्तु किया है। भूमि का प्रतिफल नियमत जो निषेधित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुतबिक देय होगा।

खाता सत्तौनी सं० 164, 383, 384 व 583

डोरिया चन्द्र सिंह पुत्र शंकर
लेखी में बनौर भूमियार
भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति
वर्ग भूमे का प्रतिफल 30/
सोलेशियम व 20 प्रतिशत
भूमि के संबंध में जानकी
गयी है जिसमें यह कडा
ज बुताकी से झरीदा है
व्यवलय तहसीलदार के यह
नसके अनुसार संदीर्घित भूमि
कर उसी दर में आपत्ति
व इन्तखाम सत्तौनी प्रस्तुत
र बासा सिंह को नियमतः

खसरा प्लाट नं० 323/2-2-17, 372/0-16-0, 414/1-12-0 बीघा
भूमि ग्राम अभिलेखों में अमृतलाल पुत्र वैजू के नाम खसरा नं० 373/0-11-0 बीघा भूमि
महादीन, होली, अमृतलाल पुत्रगण वैजू के नाम, खसरा नं० 33/1-6-15 बीघा भूमि
महादीन पुत्र वैजू के नाम व खसरा नं० 493/1-10-15 बीघा भूमि होली पुत्र वैजू के
नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । उक्त कारतकारों द्वारा प्रथक-प्रथक भाग पत्र प्रस्तुत किये
गये हैं । महादीन द्वारा खसरा नं० 33 के पूरे भाग का व खसरा नं० 373 का 1/3
भाग के प्रतिफल की मांग करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा
है । अमृतलाल द्वारा खसरा नं० 323, 372, 414, 373 के 1/3 भाग के संबंध
में भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । होली द्वारा खसरा नं०
493 के पूर्ण भाग व 373 के 1/3 भाग के प्रतिफल की मांग 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से की गयी है । उपरोक्त मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी
है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं राखित किया गया है ।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार डिसे के प्रतिफल
देय होगा ।

खाता सत्तौनी सं० 165

खसरा प्लाट नं० 295/4-16-9 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में जहापसाल पुत्र
मोलहे के नाम अंकित है । जहापसाल द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर
से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज
व सोलेशियम भी देय होगा ।

खसरा प्लाट नं० 157/1-15-10 बीघा भूमि श्रीमती अंगाना कियवा भगवन्त नि० चिनहट
का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । अंगाना ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कडा
है कि भूमि माथनिक समता से भरपूर है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम

खाता सत्तौनी सं० 168

खसरा प्लाट नं० 157/1-15-10 बीघा भूमि श्रीमती अंगाना कियवा भगवन्त नि० चिनहट
का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । अंगाना ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कडा
है कि भूमि माथनिक समता से भरपूर है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम

खसरा प्लाट नं० 157/1-15-10 बीघा भूमि श्रीमती अंगाना कियवा भगवन्त नि० चिनहट
का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । अंगाना ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कडा
है कि भूमि माथनिक समता से भरपूर है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम

की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तौनी सं० 173

ससरा प्लाट नं० 527/2-19-9 बीघा भूमि पर जोसान पुत्र दुधर का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । जोसान ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास डीवरा नगर एवं गोमती नगर एवं संजय नगर जैसी विकसित कालोनियां बसती हैं । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत जीर्णोद्धार एवं 15 प्रतिशत न्याय व कानून प्रतिशत की दर से सेलेक्षियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दक्षित किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तौनी सं० 174

ससरा प्लाट नं० 273/0-5-1 बीघा भूमि पर ओसान, राममिलन पुत्र सीताराम या०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर सीरदार अंकित है । जोसान व राममिलन द्वारा भूमि के प्रतिफल के संबंध में कोई मांग नहीं की गयी है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

साता सत्तौनी सं० 177

ससरा नं० 388/2-12-13 बीघा भूमि पर किशोरी पुत्र परागी या०वा० नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर शेरी-2 सीरदार अंकित है । इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा तथा न्याय व सेलेक्षियम भी नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तौनी सं० 178, 456 व 457

ससरा प्लाट नं० 69/1-9-2, 98/0-9-16 ग्राम अभिलेखों में सियाराम पुत्र नन्हा निवासी जुगौर का नाम ससरा नं० 105/1-8-11, 443/2-1-15 पर श्रीमती गंगाजली व फूलमती पुत्रीगण रामखेलावन नि० तख्त का नाम, ससरा नं० 360/1-1-बीघा पर श्रीमती गंगाजली व फूलमती पुत्रीगण रामखेलावन व सियाराम पुत्र नन्हा का नाम

कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, वह नियमानुसार देय

ग्राम अधिलेखों में बतौर सीरदार अंकित है । खसरा नं० 69, 98 के पूर्ण भाग व खसरा नं० 360 के 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल सियाराम द्वारा 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । खसरा नं० 105, 443, 360 के 1/2 भाग के प्रतिफल की मांग श्रीमती गंगानली व फूलमती द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । उपरोक्त मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलैशियम की भी मांग की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

जोसान पुत्र दुबेर का नाम प्रस्तुत करते हुए कहा है कि श्री विकसित कालोनियां बतौर

खसरा नं० 105 के संबंध में रामलाल पुत्र इगारी नि० ग्राम जियामऊ ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि खसरा नं० 105 रकबा 1-8-11 बीघा स्थित मौजा भरखारा, धरगना व तहसील व जिला- लखनऊ को रामखेलाधन पुत्र मेहर्ष निवासी तलवा भरखारा परगना व तहसील व जिला- लखनऊ से मु० 2500/- में दिनांक 6-7-1982 को खरीदा था। रामखेलाधन ने उसकी रजिस्ट्रीशुदा केनामा प्रार्थी के हक में किया था । इस संबंध में रामलाल ने केनामा की फोटोस्टेट कापी व शपथ पत्र भी दक्षिण किया है । रामलाल द्वारा अपने नाम की उद्धरण सत्तौनी प्रस्तुत करें तभी उनके उक्त खसरा नम्बर का प्रतिफल दिया जाना संभव होगा ।

तथा 12 प्रतिशत जीतिरक्त शायम की भी मांग की है। भूमि का प्रतिफल नियमतः

साता सत्तौनी सं० 181

जोसान, रामभिलन पुत्रगण है । जोसान व रामभिलन भूमि का प्रतिफल नियमतः

खसरा प्लाट नं० 36/3-6-19, 406/2-15-15 बीघा भूमि पर वैजनाथ, रामपाल वयरक व कशीनाथ अवयस्क गायु 12 वर्ष पुत्रगण रेश्वरदीन सं० श्रीमती जशोदा श्यामा निवासी तलवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर ग्रेणी-2 सीरदार अंकित है । वैजनाथ, रामपाल व कशीनाथ अवयस्क की तरफ से उनकी माता जशोदा ने मांग पत्र प्रथक-प्रथक प्रस्तुत करती हुई भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की भी मांग की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

पुत्र परछी गा०वा० का बारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत या जायगा वह नियमानुसार

साता सत्तौनी सं० 183

र अधिलेखों में सियाराम 43/2-1-15 पर श्रीमती खसरा नं० 360/1-1-0 सियाराम पुत्र नन्दा का नाम

खसरा प्लाट नं० 628/1-5- बीघा भूमि पर कन्वर्ट पुत्र ग्यादीन गा०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । उक्त भूमि के संबंध में परशुराम ने अपना मांग

पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कन्हई की मृत्तु ले गयी है। इस संबंध में उद्धरण खतौनी प्रस्तुत किया है। परशुराम द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा नियमानुसार न्याज व सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खतौनी सं० 185

ससरा प्लॉट नं० 107/2-2-4 बीघा भूमि पर कुंजर बहादुर सिंह पुत्र महंती सिंह के नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है। कुंजर बहादुर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के निम्न बिजली, पानी, स्कूल आदि की सुविधा बताने हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खतौनी सं० 186

ससरा प्लॉट नं० 586/0-14-13-0 बीघा भूमि पर कन्हई पुत्र केवल राम बासी का नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है। कन्हई ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खतौनी सं० 187

ससरा प्लॉट नं० 259/0-18-17 बीघा भूमि पर श्रीमती केलाशा विद्यवा द्वारिका ग्राम बासी का नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है। श्रीमती केलाशा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

इस संबंध में उद्धरण खतौनी

वर्ग फुट की दर से मांगा जाता खतौनी सं० 189

मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य

दिया जायगा, वह नियमानुसार

ससरा प्लॉट नं० 367/0-12-13-0 बीघा भूमि पर किशोरी व रामसहाय्य पुत्रगण परामी व शत्रुहन पुत्र रामपाल निवासी तख्ता साठदेह का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर खेपी-2 सीरदार अंकित है । किशोरी आदि द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

र बहादुर सिंह पुत्र महावीर

। कुंवर बहादुर ने अपना मांग

नी, स्कूल आवंट की सुविधाएं

मांगा है तथा 15 प्रतिशत

की है । अपनी मांग की पुष्टि

नियमतः जो निर्धारित किया

जाता खतौनी सं० 190
ससरा नं० 427/0-16-9-0 बीघा भूमि पर कल्लू पुत्र भरोसे का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर खेपी-2 सीरदार अंकित है । नीलकंठ पुत्र कल्लू द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । कल्लू की मृत्यु हो गयी है जिनका वारिस प्रस्तुत खतौनी के अनुसार नीलकंठ है । नीलकंठ ने अपनी भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

र कन्हई पुत्र केवल ग्राम

। कन्हई ने अपना मांग

दर से मांगा है तथा 15

भी मांग की है । अपनी

कर नियमतः जो निर्धारित

जाता खतौनी सं० 192
ससरा प्लॉट नं० 240/1-12-18-0, 209/1-10-9-0 बीघा भूमि पर कल्लू पुत्र जगन रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । कल्लू ने भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

ती कैलाश विद्या टारिका

त है । श्रीमती कैलाश

ने वर्ग फुट की दर से

दर से सोलेशियम की भी

। है । भूमि का प्रतिफल

जाता खतौनी सं० 194
ससरा प्लॉट नं० 52/2-8-11-0 बीघा ग्राम अभिलेखों में कल्लू, हनुमान पुत्रगण हुबलास निवासी तख्ता का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर खेपी-2 सीरदार अंकित है । कल्लू व हनुमान ने संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर

सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार डिस्को के मुताबिक देय होगा ।

साता सतीनी सं० 196

ससरा प्लॉट नं० 2/0-15-0, 23स/0-14-0 बीघा भूमि पर मु० के बंकर औजार का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरवार अंकित है । मु० केसाह अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 197

ससरा प्लॉट नं० 429स/1-8-13 बीघा भूमि कस्तू पुत्र जेरी ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरवार अंकित है । कस्तू ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रुपय 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमानुसार जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

साता सतीनी सं० 198

ससरा प्लॉट नं० 592/0-5-0, 634/0-18-14 बीघा भूमि पर क- व सोहनसाल पुत्रगण रघुबर बयाल ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी सीरवार अंकित है । कन्दर्प व सोहनसाल ने प्रथक प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया गया । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

साता सतीनी सं० 202

हय नहीं प्रस्तुत किया है।
यमानुसार क्रिसे के मुताबिक

ससरा प्लाट नं० 456/6-5-10-0 बीघा भूमि पर सरगी पुत्र दुर्गा ग्राम
वासियों का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। सरगी ने अपना मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमा-
नुसार न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

बीघा भूमि पर मु० कैलाश
अंकित है। मु० कैलाश ने

साता सतीनी सं० 203

वर्ग फुट की दर से मांगा
से सोलेशियम की मांग की
भूमि का प्रतिफल नियमतः

ससरा प्लाट नं० 451/0-16-16-0 बीघा भूमि पर सरगी व छबीले पुत्रगण
दुर्गा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। सरगी व छबीले द्वारा
संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर
से मांगा है तथा 18 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की
मांग की गयी है। अपनी मांग की-पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

पुत्र जेरी ग्राम वासी के
ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत

साता सतीनी सं० 209

मांगा है तथा 20 प्रतिशत
मांग की है। अपनी मांग
नियमानुसार जो निर्धारित

ससरा प्लाट नं० 650ब/1-14-0 बीघा भूमि पर गनेशी पुत्र पनश्याम का
नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी- 2 सीरदार अंकित है। गनेशी ने अपना मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य
नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह
देय होगा।

बीघा भूमि पर कन्हो
अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2

साता सतीनी सं० 210

ना मांग पत्र प्रस्तुत किया
ट की दर से मांगा गया
र से सोलेशियम की मांग
ही वासित किया गया है।

ससरा प्लाट नं० 560स/0-1-2-0 बीघा भूमि पर गनेशी, तुलसी, नन्हा
व उमराम पुत्रगण पनश्याम का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
इन लोगों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 217

ससरा प्लॉट नं० 38/0-9-2-0 बीघा भूमि पर गया प्रसाद पुत्र ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गया प्रसाद कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 218

ससरा प्लॉट नं० 449/2-4-5-0, 458/0-13-15, 483/1-18 बीघा भूमि पर गंगादीन, मातादीन पुत्रगण रामचरण ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गंगादीन व मातादीन द्वारा प्रयुक्त प्रथम मांग पत्र किये गये हैं । गंगादीन द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से माता प्रसाद द्वारा 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सक्षय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल निय जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 220

ससरा प्लॉट नं० 13/2-8-15, 39/1-1-10 बीघा भूमि गया प्रसाद, न नन्दे, लंगा, मायाराम पुत्रगण महावीर निवासी तलवा साठदेठ का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । उक्त लोगों द्वारा कोई मांग पत्र / आपत्ति नहीं की गयी है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

साता सतीनी सं० 223

ससरा प्लॉट नं० 436/0-19-10, 658/0-14-5 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में गनेसी पुत्र गंगू का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गंगू की मृत्यु हो चुकी है । उनके वरिष्ठ सौदर व छोटेला उक्त भूमि में 1/2 भाग बरा बराबर हिस्सा बताया है । प्रस्तुत मांग पत्र में भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्षय नहीं दखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक बरा का सक्षय प्रस्तुत करने पर देय होगा ।

सर्वोत्तरी सं० 224

र गया प्रसाद पुत्र लक्ष्मण
अंकित है । गया प्रसाद वार
नियमतः जो निर्धारित किया

ससरा प्लॉट नं० 322/5-9-12-0, 469/3-5-2-0 बीघा भूमि पर गया
व, वाबुलाल, राम सागर, अशोक कुमार नाबा० संरक्षिका श्रीमती कस्तुरी [माता] पुत्रगण
नाथ व रामदास, रामपाल व रामफल पुत्रगण भगवानदीन नि० ग्राम का नाम ग्राम अभिलेखों
बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गयाप्रसाद, वाबुलाल, राम सागर, अशोक कुमार
बा०, रामदास, रामपाल ने अपना प्रथक प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का
कर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज से
प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की
में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
जायगा, देय होगा ।

13-15, 483/1-18-1-
का नाम ग्राम अभिलेखों
प्रथक प्रथक मांग पत्र प्रस्तु
वर्ग फुट की दर से
है तथा 20 प्रतिशत
की गयी है । अपनी मांग

सर्वोत्तरी सं० 225

। भूमि का प्रतिकर नियमतः
। भूमि गया प्रसाद, नन्द्या,
का नाम ग्राम अभिलेखों में
पत्र / आपत्ति नहीं प्रस्तुत
है, वह देय होगा ।

ससरा प्लॉट नं० 197/1-2-13; 272/1-16-6 बीघा भूमि पर चुन्नु पुत्र
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चुन्नु ने अपना मांग
प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर रु० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ।
मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दखिल किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो
निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

सर्वोत्तरी सं० 227

बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों
सीरदार अंकित है । गनेशी
भूमि में 1/2 भाग गराबर-
रु० 30/- प्रति वर्ग फुट
प्रतिशत की दर से सोलेशियम
दखिल किया है । भूमि
हिससे के मुताबिक बराबर

ससरा प्लॉट नं० 71/1-19-12-0, 73/0-5-0, 369/1-3-0, 403/
1-10, 409/6-6-19 बीघा भूमि पर चुरई पुत्र भेडई निवासी लक्ष्मण भजरा भरवार
नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चुरई ने अपना मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत
दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । कुर्तों का
कर रु० 2,00,000-00 मांगा है । चुरई द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य
प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह
मानुसार देय होगा ।

साला सतोनी सं० 228

ससरा प्लाट नं० 523/1-12-1 बीघा भूमि पर चंदी पुत्र भिखारी-पुत्र का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर-श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चंदी ने अपना प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत प्रति वर्ग फुट की दर से सोलेशियम मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

साला सतोनी सं० 229

ससरा प्लाट नं० 598/0-3-7 बीघा भूमि कुनीलाल पुत्र हुपलाल-ग्राम अभिलेखों में बतौर-श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । यनीराम पुत्र कुनीलाल इ-पत्र प्रस्तुत किया गया है । कुनीलाल की मृत्यु हो गयी है । यनीराम उनका क-पनीराम द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । 20 की दर से ब्याज की व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की ग-अपनी मांग पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियम-निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साला सतोनी सं० 233

ससरा प्लाट नं० 452/4-15-15, 463/1-5-9 बीघा भूमि प-पुत्र दुर्गा निवासी तन्वया सा०देह का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर-श्रेणी-2 सीरदार है । छबीले ने अपना मांग प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग-दर से मांगा है । नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी-पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा वह देय होगा ।

उक्त साले के संबंध में एक आपतित रामसिंह उन्ही द्वारा प्रस्तुत की जिसके द्वारा यह कहा गया है कि भूमि पर 14 वर्षों से अपने कब्जे में तन्वया र-करत करवृत्ते रहे हैं । छबीले पुत्र दुर्गा से उपरोक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है । 3-कर्ताओं द्वारा कोई साक्ष्य अपनी आपतित की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव-निरस्त की जाती है ।

र चंदी पुत्र भित्तारी ग्राम
5 । चंदी ने अपना मांग
की दर से मांगा गया है
की दर से सोलेशियम की
क्षय नहीं प्रस्तुत किया गया

सतौनी सं० 234

ससरा नं० 428/3-2-15 बीघा भूमि पर छोटेनाल पुत्र लक्ष्मी का नाम ग्राम
जिल्लों में बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित है । छोटेनाल द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने
भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत
दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । अपनी
की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

कुन्नीलाल पुत्र हुसलान के
गिराम पुत्र कुन्नीलाल द्वारा
। मनीराम उनका बहिरस
से मांगा गया है । 20 प्रति
म की भी मांग की गयी है
भूमि का प्रतिफल नियमतः

सतौनी सं० 241

ससरा प्लाट नं० 631/4-7-15-0 बीघा भूमि छेदा व बाबूलाल पुत्रगण दुर्गा
बासी के नाम बतौर शेणी-2 सीरदार ग्राम जिल्लों में दर्ज है । बाबू व हनेमान
छेदा ने संयुक्त रूप से अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । छेदा की मृत्यु हो चुकी है
के बहिरस हनेमान हैं । बरासत के उपरान्त इन्तसाब सतौनी प्रस्तुत की गयी है ।
मान द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से 30 प्रतिशत सोलेशियम
18 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई
नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह
मानुसार देय होगा ।

-5-9 बीघा भूमि पर छेदा
बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित
तकर 15/- प्रति वर्ग फुट
मांग की है । अपनी मांग
दर नियमतः जो निर्धारित है

सतौनी सं० 243

ससरा नं० 551ब/0-14-19, 560स/0-1-2 बीघा भूमि पर छोटेनी व
पुत्रगण मोहनलाल राठवा0 का नाम ग्राम जिल्लों में बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित
छोटेनी व किन्दा ने अपना-अपना अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किया है । भूमि का
फल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व
प्रतिशत की दर से न्याज की भी मांग की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की
में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

आदि द्वारा प्रस्तुत की गयी
अपने काभिज हूँ तथा उस
कोई संबंध नहीं है । आपसे
की किया गया है अतएव आप

खाता खतोनी सं० 244

ससरा प्लॉट नं० 179/3-10-18 बीघा भूमि पर छपीले व कन्हई पुनः हरदयाल या०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। कन्हई की हो चुकी है। सक्ष्य में खतोनी प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार कन्हई मृतक के पर रमेश कुमार ना०वा० आयु 12 वर्ष संरक्षिका माता रामकली स्वयं पुत्र कन्हई लाल वासी का नाम बतौर वारिस दर्ज है। छपीले द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग की दर से तथा कन्हई द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांग कन्हई की मृत्यु के बाद उनके वारिस रमेश कुमार संरक्षिका माता रामकली द्वारा पुनः का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। उक्त दोनों मांगकर्ताओं का न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

खाता खतोनी सं० 247

ससरा प्लॉट नं० 353/0-17-11, 389/1-7-6 बीघा भूमि पर जे राम पुत्र दुर्गा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। जे जे की मृत्यु हो गयी है। उनके वारिसों द्वारा सक्ष्य उद्धरण खतोनी प्रस्तुत की गयी है जि अनुसार जे जे राम के वारिस महादेव प्रसाद, रामसागर व गोकुन्द प्रसाद पुत्रगण जे राम नि० कलवा हैं। इन लोगों द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें का मूल्य 1/3 हिस्सा बताते हुए 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य इन लोगों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, डिसे के मुताबिक देय होगा।

खाता खतोनी सं० 252

ससरा प्लॉट नं० 429/1-9-0 बीघा भूमि पर जेधा पुत्र मथुरा राम का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। जेधा ने अपना मांग प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रति की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा, देय होगा।

सप्तमी सं० 261

पर हबीले व कन्हई पुत्र
अंकित है। कन्हई की
अनुसार कन्हई मृतक के
कली स्वयं पुत्र कन्हई लात
। प्रतिर 15/- प्रति वर्ग
से भूमि का प्रतिर मांगा
माता रामकली द्वारा पुनः
। उक्त दोनों मांगकर्ताओं
की पुष्टि में कोई साक्ष्य
न जायगा, वह देय होगा।

ससरा नं० 546/0-8-0, 547/0-15-0 बीघा भूमि पर तुलसी सिंह, रामदेव
पुत्रगण नरपति सिंह व लखपत सिंह पुत्र सीतलीसिंह व मठन सिंह व जगदीश सिंह
गण राम दुलारे सिंह रामवासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार ग्राम अधिलेखों में अंकित
। तुलसी व रामदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी है। रसिन सिंह पुत्र रामदेव सिंह ने भूमि
प्रतिर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से, महत्न सिंह, जगदीश सिंह, रामसनेही सिंह
रामदेव सिंह, लखपत सिंह द्वारा भूमि का प्रतिर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा
था है तथा न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में मांगकर्ता
की द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिर नियमतः निर्धारित
के अनुसार देय होगा। तुलसी सिंह व रामदेव सिंह की वरसत होने के उपरान्त ही
उके वरिसों को भूमि का प्रतिर हिस्से के अनुसार दिया जायगा।

सप्तमी सं० 262

7-6 बीघा भूमि पर जे
रदार अंकित है। जे जे
सप्तमी प्रस्तुत की गयी है जिसे
गोकुण्ड प्रसाद पुत्रगण जे
तुल किया गया है जिसमें
दर से मांगा गया है।
मयम की मांग की गयी है
तुल किया गया है। भूमि
न्य होगा।

ससरा नं० 595स/1-5-7 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में तुलसी पुत्र धनश्याम
कासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। तुलसी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
हो चुका है कि भूमि का प्रतिर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से दिया जाय तथा
वपानुसार न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई
नही दखिल किया गया है। भूमि का प्रतिर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा,
देय होगा।

सप्तमी सं० 263

जोधा पुत्र मयुरा ग्राम
। जोधा ने अपना मांग
से मांगा है तथा 20 प्रतिर
मांग की है। अपनी मांग
नियमतः जो निर्धारित कि

ससरा प्लॉट नं० 407/1-0-6, 502/0-2-17 बीघा भूमि श्री तुलसी, मंशा,
गण पंचम ग्राम कासी का नाम श्याम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है।
श्री की मृत्यु हो चुकी है। उनके वरिस रामखेलावन पुत्र तुलसी ने मांग पत्र प्रस्तुत
था है। साक्ष्य में उदरण सप्तमी भी प्रस्तुत किया है। रामखेलावन व मंशा द्वारा संयुक्त
पत्र प्रस्तुत किया गया है। रामखेलावन द्वारा जो प्रथम मांग पत्र प्रस्तुत किया गया
उसमें 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा संयुक्त मांग पत्र द्वारा 25/- प्रति वर्ग
की दर से भूमि का प्रतिर मांगा है। सोलेशियम व न्याय की भी मांग की गयी है।
नी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दखिल किया गया है। भूमि का
प्रतिर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता सतीनी सं० 264

ससरा नं० 186/0-7-16 बीघा भूमि पर श्रीमती तुलसा देई पुत्री केदा-
वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । तुलसा देवी ने अप-
नांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, राहक अदि की सुवि-
धा हैं तथा बिजली, पानी अदि की सुविधाये उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्र-
ति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है
अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियम
जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

साता सतीनी सं० 265

ससरा प्लॉट नं० 271/1-10-11 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में जिले
पुत्र ठाकुर का नाम बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । त्रिलोकी की मृत्यु हो चुकी
प्रस्तुत की गयी सतीनी के अनुसार उनके बहिरस वितीप कुमार व मोतीलाल मुभगण त्रिलो-
की हैं । वितीप कुमार व मोतीलाल द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर
मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशि-
यम की मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्र-
स्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 266

ससरा प्लॉट नं० 579/0-8-10 बीघा भूमि पर देवी सिंह पुत्र विश्वनाथ के
ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । देवी सिंह
काका देवादास द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि भूमि
फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की पूर्ण विकसित हो-
नगर आवासीय योजना के पास स्थित बनाया है तथा भूमि के निकट बिजली, पानी, गैस
संस्थाये, अदि बताते हुए भूमि का मूल्य 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । जहाँ
मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियम
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

गांवा सतोनी सं० 273

रती तुलसा देई पुत्री देवा ... ससरा प्लाट नं० 440/0-19-0, 441/1-1-10, 512/4-13-14 बीघा
 न है । तुलसा देवी ने अपना भूमि पर ग्राम अधिलेखों में देवीदीन पुत्र मोहन या०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार
 स्टेशन, सड़क आदि की सुविधाओं के लिए अर्जित है । देवीदीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी भूमि को शहरी सव्यन
 2 भूमि का प्रतिकर 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व ब्याज की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इनके
 सोलेशियम भी देय होगा। मांग देय होगा ।

गांवा सतोनी सं० 275

पर ग्राम अधिलेखों में जितने ... ससरा नं० 203/1-3-11, 252/1-18-17, 281स/1-18-17, 201स/
 त्रलोकी की मृत्यु हो चुकी है ... 1-14 बीघा भूमि पर दुर्जनदास, सन्तुदास पुत्रगण हेमराज या०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों
 पर व मोतीलाल पुत्रगण जितने बतौर श्रेणी-2 सीरदार अर्जित है । दुर्जनदास व सन्तुदास ने अपना अपना मांग पत्र
 3/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । दुर्जन दास द्वारा भूमि का प्रतिकर 15/- व सन्तुदास द्वारा
 प्रतिशत की दर से सोलेशियम 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
 में द्वारा कोई सव्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सव्य नहीं
 [द्वारा देय होगा । प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार
 देय होगा ।

गांवा सतोनी सं० 276

देवी सिंह पुत्र किवनस्य ... ससरा प्लाट नं० 256/3-15-12 बीघा भूमि पर श्रीमती धर्मराज परनी चन्द्रभात
 र अर्जित है । देवी सिंह ने ... या०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अर्जित है । श्रीमती धर्मराजी
 रिषद की पूर्ण विकसित होने अपने दो मांग पत्र प्रस्तुत किये हैं । एक मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति
 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर व 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व
 की दर से मांगा है । अपनी मांग की पूर्ति में इनके सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सव्य
 श्रीमती धर्मराजी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
 किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाता सतौनी सं० 277

ससरा प्लॉट नं० 382/0-16-0, 384/0-18-7 बीघा भूमि पर धन् फकीरे ग्रामवा० का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीमती की तरफ से उनके वकील इकबाल हुसन ने वापिस प्रस्तुत की है कि धन् की मृत गयी है तथा उनके लड़के फकीरे, पंचम की भी मृत्यु हो गयी है। श्रीमती चौहाना फकीरे ने अपने को वापिस बहाते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की मांग है। 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी मांगा है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई नई प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह चौहाना को उसी दशा में देय होगा जब उनके द्वारा भूमि का स्वामित्व का सक्ष्य प्रस्तुत जायगा।

खाता सतौनी सं० 287

ससरा प्लॉट नं० 529/0-7-0 बीघा भूमि पर लड्डे पुत्र शिवकला ग्राम का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। लड्डे ने अपना मांग प्रस्तुत किया है। अपनी भूमि के चारों तरफ आवासीय सुविधायें उपलब्ध बनाते हुए का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा नियमानुसार देय होगा।

खाता सतौनी सं० 289

ससरा प्लॉट नं० 198/1-5-19-0, 623/0-13-14 बीघा भूमि पर पुत्र मैकू ग्राम वाली का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की मांग है। 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम का मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

सतोनी सं० 290

-7 बीघा भूमि पर घन्नु पुत्र
र अधिकत है । श्रीमती चोहान
की है कि घन्नु की मृत्यु
थी है । श्रीमती चोहाना पु
/- प्रति वर्ग फुट की दर
ते मांग की पुष्टि में कोई स
निरत किया जाएगा वह श्रीम
स्वामित्व का साक्ष्य प्रस्तुत किय

ससरा नं० 594B/1-5-2 बीघा भूमि पर नन्हें पुत्र घनख्याम का नाम ग्राम
खेलों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अधिकत है । नन्हें ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए
का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम
की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि
प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 291

नन्हें पुत्र शिवकक्षा ग्राम बा
। नन्हें ने अपना मांग प
तथायें उपलब्ध बताने हुए भूमि
15 प्रतिशत की दर से न्या
अपनी मांग की पुष्टि में को
जो निर्धारित किया जायगा व

ससरा प्लाट नं० 517/II-4-15 बीघा भूमि पर नत्या पुत्र दयाराम ग्राम
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अधिकत है । नत्या ने अपना मांग
प्रस्तुत करते हुए भूमि को भावीनक समता से भरपूर बताया है । भूमि का प्रतिकर
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत न्याज व 30 प्रतिशत की
से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

सतोनी सं० 293

13-14 बीघा भूमि पर न
-2 सीरदार अधिकत है । न
/- प्रति वर्ग फुट की दर
की दर से सोलेशियम की
र किया है । भूमि का प्रति

ससरा प्लाट नं० 34/1-19-8, 439/9-13-2 बीघा भूमि पर नन्हें पुत्र
निवासी लखवा मजरा देह का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार दर्ज है ।
ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मौजूदा समय पर खरीफ की फसल
है जिसकी कीमत 10,000-00 प्रति बीघा बतायी है । ससरा नं० 439 पर ट्यूबवेल
र बताया है तथा भूमि के पास आवासीय सुविधायें उपलब्ध बताने हुए भूमि का प्रतिकर
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 15
शत की दर से न्याज की भी मांग की है । नन्हें ने अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य
प्रस्तुत किया है । फसल का प्रतिकर देय न होगा क्योंकि फसलों का कच्चा नहीं लिया
है । भूमि का प्रतिकर नियमानुसार निर्धारित दर के अनुसार देय होगा तथा न्याज
सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 294

ससरा प्लाट नं० 270/4-6-16 बीघा भूमि पर नोब्रे व रिसाल पुत्रगण हेमराज,

रघुनाथ व हीरासाह पुत्रगण जंगली व सेवक, नागेश्वर पुत्रगण फौदटन ग्राम वासी ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इन लोगों द्वारा कोई मांग ज्ञापित प्रस्तुत नहीं की गयी है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निष्पन्न किया देय होगा।

सातवा सतीसी सं० 295

ससरा प्लॉट नं० 464/5-6-13-0, 492/3-2-11 बीघा भूमि पर पुत्र महावीर ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल जो निष्पन्न किया जायगा, वह देय होगा।

सातवा सतीसी सं० 296

ससरा नं० 94/1-9-18, 357/4-4-3, 404/1-11-0, 460/0- बीघा भूमि पर नौमीलाल पुत्र मेरू ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। नौमीलाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धार के अनुसार देय होगा।

सातवा सतीसी सं० 298

ससरा नं० 178/2-7-1 बीघा भूमि पर नाथू पुत्र भक्तार ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। नाथू ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्र 15 प्रतिशत ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धार किया जायगा, देय होगा।

रुग्ण छोड़न ग्राम बासी क
उन लोगों द्वारा कोई मांग
यमत: जो निर्धारित किया

खतोनी सं० 308

ससरा प्लॉट नं० 160/0-6-0, 161/1-0-0 बीघा भूमि पर नरूप पुत्र
व बशीलाल जंबखरक जायु 15 वर्ष संरक्षक श्रीमती बिटाना इमाता पुत्र कीदा राम
का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । नरूप व श्रीमती बिटाना अपने
पुत्र बशीलाल के संयुक्त मोग पत्र प्रस्तुत करने हुये भूमि का प्रतिकर 20/- प्रतिवर्गफिट
की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से ब्याज
की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वेय होगा ।

3-2-11 बीघा भूमि पर
2 सीरदार अंकित है । न
प्रति वर्ग फुट की दर से
की दर से सोलेशियम की मांग
है । भूमि का प्रतिकर निय

खतोनी सं० 306

ससरा प्लॉट नं० 548/0-14-0, 549/0-16-0, 567/0-10-0, 570/0-
बीघा भूमि पुत्रसिंह पुत्र रामरतिसिंह, श्रीमती केशवती देवी विधवा पुत्र-शुभिसिंह व शम्भुनाथसिंह
इकबाल व कुमारी सुशीला पुत्री नारायणसिंह व इकबाल बहादुरसिंह पुत्र कुंवर बहादुरसिंह
का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । शम्भु नाथ सिंह,
इकबाल बहादुरसिंह, कुमारी सुशीला द्वारा प्रथक-प्रथक मोग पत्र प्रस्तुत किये गये
शम्भुनाथसिंह द्वारा भूमि का प्रतिकर 20/- प्रतिवर्ग फिट की दर से मांगा गया है तथा
सिंह द्वारा 15/- प्रतिवर्ग फिट की दर से इकबाल बहादुर सिंह व कुमारी सुशीला द्वारा
का प्रतिकर 20/- प्रतिवर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा यह कहा है कि भूमि
548 तथा 549 में विपसी का केवल 0-13-7 बीघा में 1/2 भाग का हिस्सा बताया
तथा 0-3-6 एकका शम्भुनाथ सिंह पुत्र स्व० लालसाहब का हिस्सा बताया है । भूमि संख्या
का पूर्ण हिस्सा शम्भुनाथ सिंह का बताया है तथा अपना कोई हिस्सा नहीं बताया है ।
नं० 570 पर भाग बताया है जिसमें 1/6 भाग का भागीदार कहा है । उपरोक्त

404/1-11-0, 460/0-
अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2
इस भूमि का प्रतिकर 15/-
भी मांग की है । अपनी
का प्रतिकर नियमत: निर्धारित

(पुत्र मल्लर ग्राम बासी का
अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर
। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रति
की भी मांग की है । अपनी
का प्रतिकर नियमत: जो निर्

नाथ सिंह, इकबाल बहादुर सिंह व कु० सुशीला द्वारा फसल का प्रतिकर 5000/- प्रति
की दर से मांगा गया है तथा ग्राम की आबदी के मध्य स्थित भूमि अधिग्रहीत न
जाने की बात कही है । उपरोक्त सभी मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी
की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि को जर्जन से मुक्त किया जाना घेरे स्तर से संभव नहीं है । फसल का
का देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमत:
निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार हिस्से के मुतबिक देय होगा ।

साता सतीनी सं० 307

ससरा नं० 652/3-9-3 बीघा भूमि पर पुत्तू सोहनलाल, बालिक व लाल नामा 17 वर्ष सं० श्रीमती कुंदेलात मिताई पु०गं० जनकज प्रा०वा० ०० ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उक्त अंकित कर्तव्यकारों द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिस्तर 30/- प्रति वर्ग फुट से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से लो की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में हम लोगों द्वारा कोई सहाय नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिस्तर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियत देय होगा।

साता सतीनी सं० 311

ससरा प्लॉट नं० 37/0-9-6 बीघा भूमि पर परमेश्वरदीन पुत्र लक्ष्मण का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा भूमि का 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा नियमानुसार न्याय व सोलैशिय भी मांगा की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है का प्रतिस्तर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 319

ससरा प्लॉट नं० 578/0-7-12 बीघा भूमि पर पुत्तू सिंह पुत्र राम सिंह प्रा०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। पुत्तू सिंह उक्त भूमि को कर्जन से मुक्त करने हेतु कहा गया है। भूमि के प्रतिस्तर के संबंध में मांग नहीं की है। भूमि को मेरे स्तर से छोड़ना संभव नहीं है। भूमि का प्रतिस्तर नियत जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 324

भूमि प्लॉट नं० 380/1-1-10, 301स/0-10-10 बीघा भूमि पर पुत्र फकीरे प्रा०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि का प्रतिस्तर श्रीमती चोहाना पुत्री फकीरे द्वारा 1 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। श्रीमती चोहाना द्वारा अपनी मांग की पूर्ति

के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह शीमती चौहाना को उसी दशा में देय होगा जब उनके द्वारा भूमि पुनर्प्राप्त करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगी ।

अंकित करतकवतों द्वारा एक पत्र संख्या 329

असरा प्लाट नं० 381ख/0-13-0, 382ख/0-19-0 बीघा भूमि फकीरे पुत्र गणेश का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । फकीरे ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करके भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

परमेश्वरदीन पुत्र लालचंद का पत्र संख्या 330

असरा प्लाट नं० 510/2-6-1 बीघा भूमि पर फकीरे पुत्र भगवानदीन का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । फकीरे ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करके भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

पर पुन्नु सिंह पुत्र रामचंद्र का पत्र संख्या 334

असरा प्लाट नं० 638ख/1-10-12 बीघा भूमि पर बन्धन पुत्र पसीदे का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । बन्धन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करके भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

10-10 बीघा भूमि पर श्रीमती बबला पत्नी देवा का पत्र संख्या 342

असरा प्लाट नं० 296/2-16-9 बीघा भूमि पर श्रीमती बबला पत्नी देवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । बबला की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के प्रतिफल के संबंध में तुलसा व कमला पुत्री देवा ने एक संयुक्त

मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि अपनी माता बकला से चरामतन में पार्स भूमि का प्रतिकर 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। इनके द्वारा भूमि में रखने संबंधी कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही भूमि के मांगे वाले मूल संबंध में कोई सक्ष्य प्रस्तुत किया है।

इसी उद्देश्य भूमि के संबंध में एक आपत्ति गयादीन पुत्र धीपती बदासा ने किया है कि बदासा की मृत्यु दिनांक 28-5-85 को हो चुकी है। अतएव संग्रहित का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से व 20 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा प्रतिशत की दर से सोलोथियम की भी मांग की है। गयादीन द्वारा यह भी कहा गया कि भूमि संख्या 296 का केस नारायण तहसीलद्वारा के न्यायालय पर दायित्व लाइज के में चल रहा है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई सक्ष्य आदि नहीं प्रस्तुत किया है। उ मांगकर्ता गणों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह भूमि में रखने संबंधी सक्ष्य करने की दशा में ही देय होगा।

खाता खतौनी सं० 345

बसरा प्लॉट नं० 402/1-19-3, 412/3-16-16 बीघा भूमि पर बेच छोटेलाल, भोंदूलात पुत्रगण बेकू नि० हुसैदिय्य का नाम ग्राम अमलेखों में बतौर सीरदार अंकित है। बेचालाल व छोटेलाल की मृत्यु हो चुकी है। बेचालाल के वरिस औलाद्वार व रामसनेही ने अपना स्वत्व सम्बन्धी सक्ष्य उद्घरण खतौनी प्रस्तुत करते हुए का प्रतिकर 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। भोंदूलात ने अपना मांग पत्र रूप से प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। राम दुलारी बेचा छोटेलाल ने भी अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। रामदुलारी द्वारा स्वत्व संबंधी कोई सक्ष्य नहीं किया है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार स्वत्व संबंधी प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाता खतौनी सं० 346

बसरा प्लॉट नं० 446/3-6-10, 509/1-15-5 बीघा भूमि पर वं

कता से बराबरान में पाई
 । इनके द्वारा भूमि में
 ही भूमि के मांगे गये मूल्य
 न पुत्र श्रीमती बदला ने वरि
 की है । अतएव संबंधित भ
 त की दर से व्याज तथा
 नि द्वारा यह भी कहा गया
 य पर दक्षिण स्तंभित के सं
 शी प्रस्तुत किया है । उपर
 1 प्रस्तुत किया है । भूमि
 स्वत्व रखने संबंधी साक्ष्य प्र
 -16 बीघा भूमि पर बेचाला
 म अमिलेखों में बतौर श्रेणी
 है । बेचालाल के वारिस
 खतौनी प्रस्तुत करते हुए
 दुवाल ने अपना मांग पत्र प्र
 फुट की दर से मांगा है त
 ते हुए भूमि का प्रतिफल 25
 संबंधी कोई साक्ष्य नहीं प्र
 साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है
 नियमानुसार स्वत्व संबंधी स
 5-5 बीघा भूमि पर वंशी

सुन्दरलाल पुत्रगण बन्धु का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है।
 सुन्दरलाल द्वारा प्रथम-प्रथम भूमि का प्रतिफल, मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांगा
 है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से व 20 प्रतिशत की दर से
 तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । इन लोगों द्वारा
 मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
 निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खतौनी सं० 347

खसरा प्लॉट नं० 504/0-6-17 बीघा भूमि पर श्रीमती बदकी विधवा रवान
 का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीमती बदकी द्वारा
 पत्र/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
 गया वह नियमानुसार देय होगा ।

खतौनी सं० 348

खसरा नं० 341/2-14-3, 450/2-19-0 बीघा भूमि पर बाबू पुत्र रामप्रसाद
 श्री केशन पुत्र चोखे का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीकेशन
 अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट
 दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
 मांग की है । मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल
 नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा ।

खतौनी सं० 350

खसरा प्लॉट नं० 245/2-10-11, 655/0-8-0, बीघा भूमि पर बड़ी प्रसाद,
 रामप्रसाद पुत्रगण बानुलाल ग्रा०ख० का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित
 है । बड़ी प्रसाद व गया प्रसाद द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल
 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा गयाप्रसाद द्वारा एक प्रथम मांग पत्र प्रस्तुत
 करते हुए 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा है । इनके द्वारा व्याज
 सोलेशियम की भी मांग की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई
 साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
 देय होगा ।

खाता सतीनी सं० 351

ससरा प्लाट नं० 348/8-3-4, 459/0-19-10 बीघा भूमि पर श्री सीताराम का नाम ग्राम अधिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। बुढ़ा की गयी है। उनके पारिस अशर्फीलाल पुत्र बुढ़ा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेसियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह बरासत के उपरान्त उदरण प्रस्तुत करने पर ही अशर्फीलाल को देय होगा।

खाता सतीनी सं० 354

ससरा प्लाट नं० 619/0-13-7 बीघा भूमि पर बबलू पुत्र नारायण का नाम ग्राम अधिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। बबलू द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया। 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 की दर से सोलेसियम की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 356

ससरा प्लाट नं० 639/2-9-3 बीघा भूमि पर देवनन्द, रामेश्वर आयु 16 वर्ष व चुन्नीलाल नाबा० आयु 13 वर्ष व ननकऊ नाबा० 3 वर्ष सं० प्यारा मिता ४ पुत्रराज रामदुलारे निवासी छोटा भरवारा का नाम ग्राम अधिलेखी में श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल प्रतिवर्गफुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 की दर से सोलेसियम की भी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 358

ससरा प्लाट नं० 246/1-18-13 बीघा भूमि पर वैकु व गजाप्रसाद परवानी प्र०वा० का नाम ग्राम अधिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है।

1-10 बीघा भूमि पर बुढा
ऑफिस है । बुढा की मृत्यु
यांग पत्र प्रस्तुत करते हुए
व्याज व सोलेशियम की भी
नहीं प्रस्तुत किया गया है ।
सत के उपरान्त उदरण स

द्वारा संयुक्त यांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके दारा भूमि का प्रतिकर 30/-
वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की
सोलेशियम की मांग की है । साथ ही साथ व्यापार परिवर्तन के मद में 50 प्रतिशत
की है । फसल की हानि का रु० 2,00,000/- भी मांगा है । अपनी मांग
में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । फसल का प्रतिकर देय न होगा क्योंकि फसल
हानि नहीं पहुंचाई गई है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
नियमानुसार देय होगा तथा व्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा ।

श्रीमती सं० 359

पर बदलू पुत्र नारायण ग्रा०
। बदलू द्वारा अपना मांग
की दर से मांगा गया है
नि दर से व्याज व 30 प्रति
। अपनी मांग की पुष्टि में
मतः जो निर्धारित किया जाय

ससरा प्लॉट नं० 358/3-5-0, 473/2-4-11 बीघा भूमि पर श्रीमती मुन्ती
काशाराम निवासी तख्ता का नाम ग्राम खीमलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार ऑफिस
श्रीमती मुन्ती ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग
की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से
व्याज की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।
का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।
श्रीमती सं० 366

श्रीमती सं० 366

पर बेजनाथ, रामेश्वर
का नामा० 3 वर्ष सं०
नाम ग्राम खीमलेखों में बतौर
है हुए भूमि का प्रतिकर 30/-
दर से व्याज व 30 प्रतिशत
नहीं प्रस्तुत किया है ।
देय होगा ।

ससरा प्लॉट नं० 421/3-11-11, 501/0-12-11 बीघा भूमि पर भगवान
पुत्र नन्दाक निवासी तख्ता का नाम ग्राम खीमलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार ऑफिस
भगवानदीन की मृत्यु हो चुकी है । जमलदरामद आदेश हो चुके हैं जिनके अनुसार
वेदीन के वारिस वारिका, रामअधार, रामचरण, राम आसरे, राजकरन पुत्रगण भगवानदीन
वारिका, रामअधार, राजकरन द्वारा संयुक्त यांग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।
अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से,
आसरे ने 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । इन लोगों द्वारा व्याज व सोलेशियम
की मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य इन लोगों द्वारा प्रस्तुत नहीं
किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार
देय होगा ।

श्रीमती सं० 370

पर मैकु व गयाप्रसाद पुत्र
सीरदार ऑफिस है । मैकु

ससरा प्लॉट नं० 618/0-3-13, बीघा भूमि पर मुस्ताक अली व शंके पुत्रगण

मूलजदर निवासी छोटा भरवारा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार मुस्ताक अली व उसके द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवर्त 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्णता साध्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिवर्त नियमतः जो निर्धारित किया जा नियमानुसार देय होगा।

खता खतोनी सं० 372

ससरा नं० 434/6-9-5, 577/0-7-19 बीघा भूमि पर महाराज व पुत्र जम्बरसिंह ग्रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अशोक महाराज बख्श सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिवर्त 10/- फुट की दर से मांगा है। 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिवर्त, 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिवर्त नियमतः जो निर्धारित किया जा नियमानुसार देय होगा।

खता खतोनी सं० 374

ससरा प्लाट नं० 514/1-5-11-0 बीघा भूमि पर मुन्ना पुत्र बलू का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अशोक है। मुन्ना ने अपना प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिवर्त 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी पूर्णता में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिवर्त नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खता खतोनी सं० 375

ससरा प्लाट नं० 560/0-1-2-0 बीघा भूमि पर महादेव व जोधः मधुरा ग्रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अशोक है। द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिवर्त नियमतः जो किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

बतौर श्रेणी-2 सीरदार
गया है जिसके अनुसार
15 प्रतिशत की दर से
। अपनी मांग की पुष्टि
: जो निर्धारित किया जाय

सतोनी सं० 376

ससरा प्लाट नं० 600/0-3-7-0 बीघा भूमि पर मंगल पुत्र हुबलाल का नाम
अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मंगल प्रसाद ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की
में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
जा वह नियमानुसार देय होगा ।

बीघा भूमि पर महाराज नर
र श्रेणी-2 सीरदार अंकित
भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति
तिरिक्त प्रतिफल, 15 प्रतिश
ग की है । अपनी मांग की
नियमतः जो निर्धारित किया ज

सतोनी सं० 382

ससरा प्लाट नं० 104/1-17-12, 325/3-16-8 442/3-9-18 बीघा
पर महेश प्रसाद पुत्र गुलबर्खा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित
महेश प्रसाद द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रतिवर्ग फिट की दर से मांगा गया है तथा
प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है
मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो
रत दर के अनुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 386

भूमि पर मुन्ना पुत्र बाधू या
है । मुन्ना ने अपना मांग
दर से मांगा है तथा 15 प्र
ने मांग की है । अपनी मांग
कर नियमतः जो निर्धारित

ससरा प्लाट नं० 30/1-3-8-0, 415/3-14-0, बीघा भूमि पर श्रीमती
का विधा घनी निवासी लखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित
श्रीमती मुकडया ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रतिवर्ग
की दर से तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का
कर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 387

भूमि पर महादेव व जोधा पु
सीरदार अंकित है । इन
का प्रतिफल नियमतः जो निर्

ससरा प्लाट नं० 49/0-2-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रीमती मुकडया
का घनी व महाधीर पुत्र जवहर का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीमती
तया व श्रीमती तालुकवेई ने भूमि का प्रतिफल प्रत्येक-प्रत्येक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये
है । श्रीमती तालुकवेई द्वारा भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से व
श्रीमती मुकडया द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । दोनों मांगकर्ताओं द्वारा
न व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं दक्षिण

किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देया होगा। श्रीमती तानुकरेई पुत्री महावीर को प्रतिफल का भुगतान उसी दशा में देया जब वह बराकत के उपरान्त अपने नाम का उचरण सतीनी प्रस्तुत करेगी।

साता सतीनी सं० 389

ससरा प्लाट नं० 537/0-13-15 बीघा भूमि पर मशाराम पुत्र सन्धू, मि. श्रीवेकान पुत्रगण लोचन, सुमेर, श्यामलाल जवयस्क उम्र 14 वर्ष सं० पारवती पुत्रगण पुरई ग्रामवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सिरदार अंकित है लखन, सियाराम, श्यामलाल व सुमेर द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र व विहारी पुत्र द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- का फूट की दर से मांगा है तथा न्यान व सोलेशियम की भी मांग की है। इन लोगों अपनी मांग की फूट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार दिसे के मुताबिक देया होगा।

साता सतीनी सं० 390

ससरा प्लाट नं० 342/0-13-17-0 बीघा व 444/1-16-10 बीघा पर मथुरा पुत्र हेमराज निवासी तलवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। मथुरा पसाव ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल प्रति वर्ग फूट की दर से मांगा है। अपनी मांग की फूट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत है। भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर से देया होगा।

साता सतीनी सं० 402

ससरा प्लाट नं० 290/1-4-2 बीघा भूमि पर याद अधिलेखों में महावीर जवाहर व पूरन पुत्र नेले ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। महावीर व पूरन की मृत्यु हो चुकी है। उनके वरिष्ठों द्वारा कोई मांग अधिलेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार भूमि में स्वयं रहने वाले को देया होगा। स्वयं का सक्ष्य नहीं किया गया है।

किया जायगा वह नियमानुसार भुगतान उसी वशा में दे प्रस्तुत करेंगी ।

सत्तानी सं० 410

समरा प्लाट नं० 532/2-3-0, 534/1-2-0, 536/0-19-0 बीघा भूमि पर रामसरन ग्रा०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित प्राप्ति ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

पर मंगलराम पुत्र अन्वु, सिंगरपुर 14 वर्ष सं० पारवती श्रेणी-2 सीरदार अंकित है मांग पत्र व बिहारी पुत्र भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की है । इन लोगों में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सत्तानी सं० 411

समरा प्लाट नं० 235/1-9-0 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में महादेव पुत्र ग्रा०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । महादेव ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

व 444/1-16-10 बीघा अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।

सत्तानी सं० 412

समरा नं० 361/0-2-10-0, 362/1-2-0 बीघा भूमि पर मंगल वयस्क नारायण, राधेलाल अवयस्क जायु कमरा: 11 वर्ष व 9 वर्ष का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मंगल, नारायण, राधे की माता मुन्नी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

पर ग्राम अधिलेखों में महावीर अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित उनके बरिसों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा । स्वत्व का सक्ष्य

सत्तानी सं० 417

समरा प्लाट नं० 629/0-17-0 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में मुन्ने पुत्र व मानु पुत्र शकूर ग्रा०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मोलदे व दारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1/2 भाग की प्रत्येक ने मांग

की है तथा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की है। अपनी मांग पर फीट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 418

ससरा प्लॉट नं० 432/1-17-0 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में मंगल परीषद्, चिरौजीताल, जरखान, धनीराम पुत्रगण गंगादीन/का नाम बतौर श्रेणी-2 सी. अंकित है। उक्त कायदाकारों द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की फीट में कोई सक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 419

ससरा प्लॉट नं० 599/0-3-7 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में मनी पुत्र कुन्द व मंगल पुत्र तुबलाल सा०सा० का नाम बतौर श्रेणी-2 मीरवार अंकित है। मनी व मंगल द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की फीट में कोई सक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 420, 421

ससरा प्लॉट नं० 447/1-8-10, 448/0-10-0, 27/2-7-5 बीघा पर मुन्ना उर्फ हनोमान व हीरालाल पुत्रगण नेवाजी व कुमारी शिवदेवी नामका पुत्री विरव सं० मुन्ना उर्फ हनोमान निवासी तखवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सी. अंकित है। कु० शिवदेवी व हनोमान, हीरालाल द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की है।

र से मांगा है तथा 15 प्र
मांग की है । अपनी मां
कर नियमत: जो निर्धारित

की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।
सूची नं० 422

पर ग्राम अभिलेखों में
नाम बतौर श्रेणी-2 की
प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रति
की दर से व्याज व 30 प्रति
ग की पुष्टि में कोई सक्ष्य
रत किया जायगा वह नियमानु

ससरा प्लॉट नं० 355/1-1-4, 438/2-9-2 बीघा भूमि पर राजाराम पुत्र
व विनेश कुमार अव्यक्त उम्र 14 वर्ष सं० श्रीमती रामपती श्यामा पुत्र रामदयाल
की लखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । राजाराम व
कुमार की तरफ से उनकी माता/दारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है
लोगों के द्वारा भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा
प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ।
मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो
रत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।
सूची नं० 425

पर ग्राम अभिलेखों में अपनी
-2 सीरदार अंकित है । अपनी
के द्वारा भूमि का प्रतिकर 30
की दर से व्याज व 30 प्रति
ग की पुष्टि में कोई सक्ष्य
त किया जायगा वह नियमानु

ससरा प्लॉट नं० 1/5-3-12 बीघा भूमि पर रामसेकक व रामशरन पुत्रगण
निवासी लखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामसेकक
शरन द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा अपनी भूमि का
दर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार व्याज व सोलेशियम
की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि
कर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।
सूची नं० 426

0-0, 27/2-7-5 बीघा भूमि
शिवदेवी नाथवा पुत्री निश्वन
लेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार
मांग पत्र प्रस्तुत किया गया
दर से मांगा गया है तथा
यम की मांग की है । अपनी

ससरा प्लॉट नं० 174/0-18-0 बीघा भूमि पर रामप्रसाद पुत्र विहारी व
पुत्र दुबलास का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामप्रसाद
द्वारा प्रथक-प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । भूमि में अपना अपना 1/2
बनाया है तथा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30
दर की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से व्याज की मांग की गयी है ।
का प्रतिकर भी प्रथक-प्रथक 50,000/- मांगा है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की
में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 430

ससरा प्लॉट नं० 21/3-9-6 कीया भूमि पर रामस्वरूप व मुल्हा पुत्रगण मन्क निवासी तखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मोलहे रामस्वरूप द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 431

ससरा प्लॉट नं० 44/0-10-0, 46/0-5-0 कीया भूमि पर रम्मा, लुट्टे राप्ते पुत्रगण मैकू. व. सियाराम, रामचन्द्र, पुत्रगण महावीर का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामचन्द्र, सियाराम, जेटई द्वारा प्रथक-प्रथक व रम्मा व राप्ते द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । रामचन्द्र, सियाराम व रम्मा, राप्ते द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा जेटई द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से, इन लोगों द्वारा व्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 435

ससरा प्लॉट नं० 11/1-1-16 कीया भूमि पर रामलखन पुत्र रामराज्य निवासी तखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामलखन द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 436

ससरा प्लॉट नं० 605/2-6-11 कीया भूमि पर रामओतार पुत्र मैकू शांवाड के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामओतार ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 15 प्रतिशत

की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

प व मुल्हा पुत्रगण व
अंकित है । मोलने
का प्रतिफल 20/- प्रति
व्याज व 30 प्रतिशत की
में इन लोगों द्वारा कोई
ने निर्धारित किया जायगा

आता खतौनी सं० 437

ससरा प्लाट नं० 642/4-5-6 बीघा भूमि पर राम जुलारी विधवा टीकराम प्रियवासी का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामजुलारी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

भूमि पर रम्मा, सुटई,
प्राप अमिलेखी में बतौर

आता खतौनी सं० 439

प्रदायक व रम्मा व राधे
म व रम्मा, राधे द्वारा
तथा सुटई द्वारा 25/-
लि भी मांग की गयी है
या गया है । भूमि का

ससरा प्लाट नं० 582/0-2-0 बीघा भूमि पर रामपाल सिंह व सुबदेव सिंह देवी सिंह व दुर्गा लखा सिंह पुत्रगण विखनख्य सिंह निवासी ग्राम का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । देवी सिंह व दुर्गा लखा सिंह द्वारा मांग पत्र प्रदायक प्रस्तुत किये गये हैं । इन लोगों द्वारा यह कहा गया है कि भूमि सं० 582 पर शोधन कुटी बनी हुई है, साधू सन्त ठहरते हैं तथा पूजा जाँव होती है । देवी सिंह उर्फ लखा देवदास ने स्वयं अपने को साधू बताते हुए भूमि को जर्जन से मुक्त करने हेतु कहा है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा नियमानुसार देय होगा । भूमि को छोड़ा जाना मेरे ह्तर से संभव नहीं है ।

न पुत्र रामसहाय निवासी
है । रामलखन द्वारा
का 20 प्रतिशत की दर
। अपनी मांग की पुष्टि
ने निर्धारित किया जायगा

आता खतौनी सं० 442

लेखी में रामऔतार पुत्र
र ने अपना मांग पत्र
तथा 15 प्रतिशत की

ससरा प्लाट नं० 508/2-0-16, 538व/1-19-9, 660/3-13-10 बीघा भूमि पर रामदयाल पुत्र हीरालाल ग्राम वाली का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामदयाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । रामदयाल ने यह कहा है ससरा नं० 660 पर समरुव की बाग है । इसके अतिरिक्त एक पेड़ बेल, कीमत 1000/- पेड़ बमूल, कीमत 500/- तथा बाग की सालाना आमदनी 3000/- बताया है ।

ससरा प्लॉट नं० 930 पर तीन पेड़-शीशम, कीमत-3000/-, एक पेड़-केर-कीमत-1000/- एक वकूल कीमत-500/-, एक पेड़-अमरुव-200/- कीमत बताया है। इसी सम्बर 5 बिस्वा पर कब्रिस्तान भी बताया है जिसको छोड़ने के लिये कहा है। इनके द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत जीतीरफ्त प्रतिफल 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। रामदयाल द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का छोड़ा जाना मरे स्तर से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 446-

ससरा प्लॉट नं० 67/0-19-19 बीघा भूमि पर रामचरण व नन्हु व ससरा पुत्रगण भित्तेश्वर ग्रामवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उस भूमि के संबंध में रामपाल, देवराज व महेश प्रसाद द्वारा एक संयुक्त रूप से दिनांक 28-1-87 को अपनी मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। गेहूँ की फसल का प्रतिफल रु० 50,000/- मांगा है जो देय न होगा क्योंकि फसल का फलना नहीं लिया गया है। मांगकर्तागणों द्वारा भूमि में स्वत्व रखने का साक्ष्य देने पर ही प्रतिफल देय होगा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 447

ससरा प्लॉट नं० 3898/0-0-12 पर रामेश्वरी उर्फ लल्ली पुत्री जगदेवन सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 448

ससरा प्लॉट नं० 575/0-3-10-0 बीघा भूमि पर राजजसिंह, ननकज सिंह, पुत्र मुनेश्वर सिंह व बाबू सिंह व रामेश्वर सिंह व रामकुमार सिंह पुत्रगण गुरुचरण सिंह ग्रामवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उस प्लॉट के

1000/- में रजिस्ट्रार द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने भूमि का प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है। 10 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
सतौनी सं० 449

में रजिस्ट्रार द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने भूमि का प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है। 10 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
सतौनी सं० 449

ससरा प्लॉट नं० 433/2-14-17, 643/0-3-0, 645/1-13-1. बीघा

पर रामबिलावन, रामअवतार, रामकृष्ण, रामप्रसाद पुत्रगण जोड़कर ग्राम बासी के नाम से बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
सतौनी सं० 454

पर रामबिलावन, रामअवतार, रामकृष्ण, रामप्रसाद पुत्रगण जोड़कर ग्राम बासी के नाम से बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
सतौनी सं० 454

ससरा नं० 435/0-12-1 बीघा भूमि पर राम प्रसाद पुत्र ननुकृष्ण निवासी

का नाम राम अमितेसों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। राम प्रसाद की मृत्यु की है। प्रस्तुत की गयी सतौनी वंत्ताव के अनुसार बेजनाथ अवयस्क उम्र 17 वर्ष का श्रीमती नरायणी [माता] स्वयं राम प्रसाद के खरिस हैं। बेजनाथ की माता श्रीमती जगदेवी ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया जायगा।
सतौनी सं० 459

का नाम राम अमितेसों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। राम प्रसाद की मृत्यु की है। प्रस्तुत की गयी सतौनी वंत्ताव के अनुसार बेजनाथ अवयस्क उम्र 17 वर्ष का श्रीमती नरायणी [माता] स्वयं राम प्रसाद के खरिस हैं। बेजनाथ की माता श्रीमती जगदेवी ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया जायगा।
सतौनी सं० 459

ससरा प्लॉट नं० 260/1-1-17, 206/1-13-11, बीघा भूमि राम अमितेसों

पुत्रगण गुस्वरन सिंह का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। रामचरन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग

पुत्रगण गुस्वरन सिंह का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। रामचरन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग

की है । 50 आम पेड़ों का प्रतिफल ₹0 2,00,000/- भी मांगा है । उन्होंने अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दिलाया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जाएगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 460

ससरा प्लाट नं० 4743/0-17-12, 656स/0-5-18 बीघा भूमि पर राम पुत्र मेफू निवासी तलवा के नाम ग्राम जमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । राम ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जाएगा वह देय होगा ।

साता सतीनी सं० 461

ससरा प्लाट सं० 319स/1-12-12, 656स/0-6-4-0, बीघा भूमि पर ग्राम जमिलेखों में राधेताल पुत्र मेफू का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । राधेताल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । मरीफ की फसल की कीमत 10,000/- प्रति बीघा बतौर है । राधेताल द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दिलाया गया है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जाएगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 463

ससरा प्लाट नं० 56/0-16-13, 84/0-4-7, 425/1-2-9 बीघा भूमि पर ग्राम जमिलेखों में रामेश्वर पुत्र सारजू निवासी तलवा के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामेश्वर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति बीघा की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी फसल का प्रतिफल भी 10,000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जाएगा वह नियमानुसार देय होगा ।

मि मांगा है । इन्होंने अपनी
प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित

सतौनी सं० 468

ससरा प्लॉट नं० 100/0-9-13 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में रामव्यास पुत्र
ब्रह्म के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है । रामव्यास ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार
न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय
होगा ।

1-18 बीघा भूमि पर राम
: सीरदार जीकत है । राम
न वर्ग फुट की दर से मांग
: सोलेशियम की मांग

सतौनी सं० 469 व 538

ससरा नं० 365/2-17-10, 468/0-18-0 बीघा भूमि पर ग्राम अभिलेखों
रामसहाय पुत्र रतनू का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है व ससरा नं० 366/
3-4, 371/1-16-5, 455/1-1-0, बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में शत्रोहन पुत्र श्यामलाल,
श्रीरी पुत्र परागी व रामसहाय पुत्र रतनू का नाम जीकत है । राम सहाय द्वारा मांग
प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि ससरा नं० 365 व 468 का पूर्ण प्रतिकर तथा
ससरा नं० 366, 371, 455 का 1/2 भाग प्रतिकर मांगा गया है । अन्य लोगों द्वारा
मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । रामसहाय ने भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति
फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर
सोलेशियम की मांग की है । व्यवसाय परिवर्तन में हुई क्षति के लिये प्रतिकर की आधी
मांगी है । इनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया
। भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार धिरेसे के पुताबिक
होगा ।

1 भूमि का प्रतिकर नियमत:

6-4-0, बीघा भूमि पर
रदार जीकत है । राधेलाल
प्रति वर्ग फुट की दर
दर से सोलेशियम की मांग
बताई है । राधेलाल द्वारा
। फसल का प्रतिकर देय

सतौनी सं० 475

ससरा प्लॉट नं० 633/2-4-15-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में रामकिशुन
बंगाल के नाम जीकत है । रामकिशुन द्वारा कोई आपत्त / मांग पत्र दायित्व
किया गया है । उक्त भूमि के संबंध में केसराम द्वारा एक आपत्त पत्र प्रस्तुत किया
गया है जिसमें यह कहा गया है कि ससरा नं० 633/2-4-15-0 बीघा भूमि पर प्रार्थी
कब्जा है तथा एकमात्र उत्तराधिकारी अपने को बताते हुए भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति
फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर
सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग व भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई सक्ष्य

425/1-2-9 बीघा भूमि
र श्रेणी-2 सीरदार जीकत
प्रतिकर 20/- प्रति बीघा
मांग की दर से सोलेशियम
बीघा की दर से मांग
। लिया गया है । भूमि
।

नहीं प्रस्तुत किया है। नियमतः जो प्रतिफल निर्धारित किया जायगा वह उक्त माते
वेय होगा। केसराम द्वारा उक्त भूमि में स्वामित्व रखने का सख्य प्रस्तुत करने की द
में ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील पर प्रतिफल विषये जाने के संबंध में विचार कि
जा सकता है।

खाला खतोनी सं० 482

ससरा प्लॉट नं० 626/1-14-6 बीघा भूमि पर रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्रगण
रामभद्रोसे ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है। रामच
व प्रेमचंदर द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की व
से मांगा गया है। 12 प्रतिशत की दर से जतिरक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर
व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है। इन तीनों ज
अपनी मांग की पूर्ति में कोई सख्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमत
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार वेय होगा।

खाला खतोनी सं० 485

ससरा प्लॉट नं० 55/2-5-17, 399/1-14-5 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों
में श्रीमती रामकली विधवा कलका ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है
रामकली द्वारा भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा नियमानुसा
व्याज व सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सख्य नहीं प्रस्तु
किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसा
वेय होगा।

खाला खतोनी सं० 487

ससरा प्लॉट नं० 398/2-2-0 बीघा भूमि पर रामपती विधवा फुडई का नाम
ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है। इनके द्वारा भूमि के मूल्य के संब
में कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अग्रिम प्रतिफल हेतु प्रार्थना पत्र व शप
पत्र दामिल किया गया है जिसके मूल्य के संबंध में कोई बात नहीं लिखी है। भूमि क
प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार वेय होगा।

जायगा वह उक्त खाते
साध्य प्रस्तुत करने की दर
अने के संबंध में विचार कि

सखतोनी सं० 488

ससरा प्लॉट नं० 392/0-9-12 बीघा भूमि पर रामलाल पुत्र शुकर राम
भी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामलाल की मृत्यु हो
गई है । इनके वारिसान शिवनरायन व शिवनाथ पुत्राण रामलाल ने एक संयुक्त मांग
प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रं० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा ग्याज
सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साध्य नहीं दखिल किया है ।
रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्राण का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्राण
सीरदार अंकित है । रामचन्द्र
20/- प्रति वर्ग फुट की दर
से 15 प्रतिशत की दर से
गयी है । इन लोगों द्वारा
। भूमि का प्रतिफल नियमतः

सखतोनी सं० 492

ससरा नं० 122/1-17-1-0 बीघा भूमि पर रामअधर सिंह पुत्र गनेश सिंह
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । उक्त
भूमि के संबंध में बृजमोहन सिंह, वैजनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, गोमत सिंह, मल्लू सिंह
पुत्राण कुबेर बहादुर सिंह ने एक रजिस्टर्ड वसीयत की फोटोस्टेट कपी दखिल करते हुए
प्रतिफल की मांग की है । वसीयत नामा के अनुसार रामअधर ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत
तत्वांगणों के पक्ष में दिनांक 25-1-85 को कर दिया है । वसीयत नामे के पैरा-3
अनुसार रामअधर की मृत्यु के उपरान्त ही वसीयत का लक्ष्य उक्त मांगकर्तागण उठा
करे हैं । रामअधर द्वारा कोई मांग पत्र दखिल नहीं किया गया है और न मांगकर्तागणों
द्वारा इस बात का साध्य दिया गया है कि वसीयत कर्ता जीवित है अथवा नहीं । मांगकर्तागणों
द्वारा भूमि का प्रतिफल उसी दशा में देय होगा जब वह अपने नाम की उदरण सखतोनी प्रस्तुत
करेंगे । इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है
तथा 15 प्रतिशत की दर से ग्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी
है ।

बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों
श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
गा गया है तथा नियमानुसार
में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत
। जायगा, वह नियमानुसार

सखतोनी सं० 493

ससरा प्लॉट नं० 540/0-6-15, 541/0-6-15 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों
रामजोतार पुत्र रामसेवक के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामजोतार ने अपना
मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
5 प्रतिशत की दर से ग्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ।
अपनी मांग की पुष्टि में कोई साध्य नहीं दखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

रती बिपवा कुन्ई का नाम
। भूमि के मूल्य के संबंध
हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ
नहीं मिली है । भूमि का

साता सतीनी सं० 494

संख्या प्लॉट नं० 321/2-2-12-0 बीघा भूमि रामकिशन पुत्र शिवधरन नि० तलवा
का नाम ग्राम जमिलेले में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकेत है। रामकिशन अपना भौगपत्र
बलिष्ठ करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है। अपनी मांग
की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 495

संख्या प्लॉट नं० 3/1-10-0, 363/0-6-0, रामकिशन पुत्र शिवधरन व
रामदयाल व सर्वजीत पुत्रगण अमर सिंह का नाम ग्राम जमिलेले में अंकेत है। रामकिशन
सर्वजीत, रामदयाल द्वारा भूमि का प्रतिफल एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये 15/-
प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 496

संख्या नं० 617/0-6-16-0 बीघा भूमि राजेन्द्र प्रसाद व रमेश पुत्रगण सातकराम
ग्राम वासी का नाम ग्राम जमिलेले में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकेत है। रमेश की मृत्यु
हो चुकी है उनके वारिस राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सातकराम प्रस्तुत इन्तख्त सतीनी के अनुसार
है। राजेन्द्र प्रसाद उक्त भूमि के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल
15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत
की दर से सोलेसियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 503

संख्या प्लॉट नं० 117/3-6-13, 370/2-1-0-0, 385/3-4-11-0,
470/1-3-5-0 बीघा भूमि पर रघुनाथ, जीतार, रामगोपाल पुत्रगण नेल्ले व रामदीन पुत्र शिवदीन

रामचंद्र शिवचरन नि० तत्काल
रामकिशन अपना मांगपत्र
से मांगा है । अपनी मांग
कर नियमतः जो निर्धारित

वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रघुनाथ, रामगोपाल, राम-
द्वारा संयुक्त मांग पत्र व रामदीन द्वारा प्रथक रूप से मांग पत्र प्रस्तुत किया है ।
तोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है तथा लरीफ की फसल
प्रतिफल 10,000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग
पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल
रकबा नहीं लिया गया है ।

सतौनी सं० 504

रामकिशन पुत्र शिवचरन व
में अंकित है । रामकिशन
प्रस्तुत करते हुये 15/-
साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
सार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 22/2-0-17-0, बीघा भूमि रामचंद्र पुत्र भगवानदीन ग्राम
के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रामचंद्र ने अपना
पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा
प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी
की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतौनी सं० 505

रमेश पुत्रगण सातिकराम
र है । रमेश की मृत्यु
का सतौनी के अनुसार
हुये भूमि का प्रतिफल
। ब्याज व 30 प्रतिशत
कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
नियमानुसार देय होगा ।

प्लाट नं० 611/2-19-17 बीघा भूमि रामजियावन, रामविहारी व रामबिलावन पुत्रगण
ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रामविहारी
रामबिलावन ने अपना-अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । रामबिलावन द्वारा भूमि का प्रतिफल
- प्रति वर्ग फिट की दर से व विहारी द्वारा 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से भूमि
प्रतिफल चाहा है । इन लोगों द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । विहारी
यह भी कहा गया है कि रामजियावन की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिस स्वयं अपने
तथा रामबिलावन को बताया है परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।
प्रस्तुत करने की दशा में ही रामजियावन के ठिकसे का प्रतिफल विहारी व रामबिलावन
देया जा सकता है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार
होगा ।

सतौनी सं० 506 व 507

ससरा प्लाट नं० 26/2-13-6, 391/1-1-15, 484/0-6-0 बीघा भूमि

385/3-4-11-0,
रामदीन पुत्र शिवदीन

ग्राम अभिलेखों में रामकली देवा मोती नि० उमरभारी, रामसेवक, रामसरन, पुत्रगण दीना निवासी तबवा क्व नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। ससरा नं० 26,391 का पूर्ण रकबा देवा व ससरा नं० 484 का 1/2 भाग के स्वामी ग्राम अभिलेखों के अनुसार रामकली देवा मोती रहा है व ससरा नं० 484 का 1/2 भाग के स्वामी रामसेवक व रामसरन पुत्रगण दीना निवासी तबवा है। रामकली ने ससरा नं० 26,391 के पूर्ण भाग व 484 के 1/2 भाग के प्रतिफल की मांग करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांग है।

उपरोक्त सभी ससरा नम्बरों के संबंध में श्रीमती बदला मुठी मोती ने आपत्ति दायित्व है कि उक्त भूमि के कब्जाकार मोती इपिता है जिनकी मृत्यु लगभग-34 वर्ष पूर्व हो गई है पितृ की मृत्यु के बाद मन्ना पुत्र मोती भाव आपत्ति कर्ता के नाम बरासत दर्ज हुए हैं श्रीमती बदला का यह भी कहना है कि पितृ की मृत्यु के लगभग 6 ब्राह्मण बाद ही श्रीमती रामकली विधवा मोती ने अपना पुनः विवाह हनु रिवाज विरादरी व हिन्दू धर्म के अनुसार मुसरू पुत्र गौरी निवासी उमरभारी तहसील-मलिहाबाद, तमनऊ के साथ कर लिया जो भी मुसरू की धर्म पत्नी है। मन्ना आपत्ति कर्ता के भाई की मृत्यु होने के उपरान्त आपत्ति कर्ता स्व० मन्ना का एक मात्र उत्तराधिकारी भी बताया है। आपत्ति कर्ता ने यह भी कहा है कि श्रीमती रामकली ने लेखपाल से मिसकर प०क०-11 में स्वर्गवास के बाद अपना नाम बरासत लिखा लिया है जबकि रामकली को पुनः विवाह कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उसे कोई हक था भी तो पुनर्विवाह करने से समझत हो गया।

उसी उक्त भूमि के संबंध में एक और आपत्ति पत्र रामसेवक व रामसरन पुत्रगण दीना ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आपत्ति पत्र में शजरा खानदान भी दर्शाया गया है जिसके अनुसार रतनु के दो लड़के मोती व दीना थे, मोती मृतक के एक लड़का मन्ना (मृतक) दीना के रामसेवक व रामसरन लड़के हैं। इन आपत्ति कर्ता गणों द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि मोती व मन्ना की मृत्यु हो चुकी है और मन्ना की माता रामकली ने मोती की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष बाद मुसरू निवासी उमरभारी से विवाह कर लिया, मोती को भरे लगभग 25 वर्ष व मन्ना को मरे लगभग 3 वर्ष हुए बताया है। इन लोगों

यह
नाम
रकबा
देवा
ससरा
नं०
484
का
1/2
भाग
के
स्वामी
ग्राम
अभिलेखों
के
अनुसार
रामकली
देवा
मोती
रहा
है
व
ससरा
नं०
484
का
1/2
भाग
के
स्वामी
रामसेवक
व
रामसरन
पुत्रगण
दीना
निवासी
तबवा
है
।
रामकली
ने
ससरा
नं०
26,
391
के
पूर्ण
भाग
व
484
के
1/2
भाग
के
प्रतिफल
की
मांग
करते
हुये
भूमि
का
प्रतिफल
30/-
प्रति
वर्ग
फिट
की
दर
से
मांग
है
।
उपरोक्त
सभी
ससरा
नम्बरों
के
संबंध
में
श्रीमती
बदला
मुठी
मोती
ने
आपत्ति
दायित्व
है
कि
उक्त
भूमि
के
कब्जाकार
मोती
इपिता
है
ये
जिनकी
मृत्यु
लगभग-34
वर्ष
पूर्व
हो
गई
है
पितृ
की
मृत्यु
के
बाद
मन्ना
पुत्र
मोती
भाव
आपत्ति
कर्ता
के
नाम
बरासत
दर्ज
हुए
हैं
श्रीमती
बदला
का
यह
भी
कहना
है
कि
पितृ
की
मृत्यु
के
लगभग
6
ब्राह्मण
बाद
ही
श्रीमती
रामकली
विधवा
मोती
ने
अपना
पुनः
विवाह
हनु
रिवाज
विरादरी
व
हिन्दू
धर्म
के
अनुसार
मुसरू
पुत्र
गौरी
निवासी
उमरभारी
तहसील-मलिहाबाद,
तमनऊ
के
साथ
कर
लिया
जो
भी
मुसरू
की
धर्म
पत्नी
है
।
मन्ना
आपत्ति
कर्ता
के
भाई
की
मृत्यु
होने
के
उपरान्त
आपत्ति
कर्ता
स्व०
मन्ना
का
एक
मात्र
उत्तराधिकारी
भी
बताया
है
।
आपत्ति
कर्ता
ने
यह
भी
कहा
है
कि
श्रीमती
रामकली
ने
लेखपाल
से
मिसकर
प०क०-11
में
स्वर्गवास
के
बाद
अपना
नाम
बरासत
लिखा
लिया
है
जबकि
रामकली
को
पुनः
विवाह
कर
लेने
का
कोई
अधिकार
नहीं
है
।
यदि
उसे
कोई
हक
था
भी
तो
पुनर्विवाह
करने
से
समझत
हो
गया
।
उसी
उक्त
भूमि
के
संबंध
में
एक
और
आपत्ति
पत्र
रामसेवक
व
रामसरन
पुत्रगण
दीना
ने
प्रस्तुत
किया
है
।
प्रस्तुत
आपत्ति
पत्र
में
शजरा
खानदान
भी
दर्शाया
गया
है
जिसके
अनुसार
रतनु
के
दो
लड़के
मोती
व
दीना
थे,
मोती
मृतक
के
एक
लड़का
मन्ना
(मृतक)
दीना
के
रामसेवक
व
रामसरन
लड़के
हैं
।
इन
आपत्ति
कर्ता
गणों
द्वारा
यह
आपत्ति
की
गयी
है
कि
मोती
व
मन्ना
की
मृत्यु
हो
चुकी
है
और
मन्ना
की
माता
रामकली
ने
मोती
की
मृत्यु
के
लगभग
2
वर्ष
बाद
मुसरू
निवासी
उमरभारी
से
विवाह
कर
लिया,
मोती
को
भरे
लगभग
25
वर्ष
व
मन्ना
को
मरे
लगभग
3
वर्ष
हुए
बताया
है
।
इन
लोगों
के
साथ
नियम

यत भी कहा गया है कि रामकली ने जलसाजी व घोड़ा देकर क्षेत्रपाल से भित्तकर क. रामसरन, पुत्रगण दीना निवासी का नाम उक्त भूमि पर दर्ज करा लिया है जो जलैय है क्योंकि भोती के मरने के बाद नं० 26,391 का पूर्ण रकबा की देवा रामकली ने दूसरी शर्दी कर ली है इसलिए उक्त भूमि पर कोई अधिकार बाकी के अनुसार रामकली देवा भोती रखा है उक्त आपत्ति करने हुये अपने को मृतक मन्ना का वारिस बताते हुये भूमि पर रामसरन पुत्रगण दीना निवासी, कर्मिल व दक्षिण बताया है तथा उक्त भूमि का मुजाबजा माने का अधिकारी कहा है।

उक्त आपत्ति कर्ता श्रीमती बदाला, रामसेवक व रामसरन ने अपनी आपत्ति की में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। इन लोगों द्वारा स्थल न्यायालय का स्थगन आदेश निर्णय की दिनांक से 6 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने पर ही राजस्व अधिलेखी में अंकित भूत को प्रतिफल भुगतान न करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसा न होने की दशा में तत्पश्चात् 34 वर्ष पूर्व हो चुकित अर्थात् के बाद नियमानुसार भुगतान कर दिया जायगा। संसरा नं० 484 का 1/2 भाग का व 484 के 1/2 भाग त वर्ग फुट की दर से मांग भोती ने आपत्ति दक्षिण तत्पश्चात् 34 वर्ष पूर्व हो चुकित अर्थात् के बाद नियमानुसार भुगतान कर दिया जायगा। संसरा नं० 484 का 1/2 भाग का व 484 के 1/2 भाग त वर्ग फुट की दर से मांग भोती ने आपत्ति दक्षिण तत्पश्चात् 34 वर्ष पूर्व हो चुकित अर्थात् के बाद नियमानुसार भुगतान कर दिया जायगा। संसरा नं० 484 का 1/2 भाग का व 484 के 1/2 भाग त वर्ग फुट की दर से मांग

संसरी सं० 511

संसरा नं० 57/0-14-15, 426/1-16-2 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखी में सख्तम पुत्र सरजू निवासी तबका के नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। तख्तम प्रसाद का मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा तथा 20 प्रतिशत की दर से व्यय 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निष्पत्ति किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

संसरी सं० 514

संसरा प्लॉट नं० 368/3-3-9-0 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखी में श्रीपाल, गेंदालाल व ईश्वरीदीन, रामलखन व रामउज्जागर पुत्रगण भाता प्रसाद निवासी तबका का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। गेंदालाल पुत्र ईश्वरदीन, रामलखन व रामउज्जागर पुत्रगण भाता का व राम बहादुर पुत्र श्रीपाल ने अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किया है। गेंदालाल भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से, रामलखन, रामउज्जागर द्वारा 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से व रामबहादुर द्वारा 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। लोगों द्वारा न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निष्पत्ति किया जायगा नियमानुसार त्रिसे के मुताबिक देय होगा।

आता खतोनी सं० 518

ससरा प्लाट नं० 33/1-10-5 बीघा भूमि ग्राम खिम्लेखी में श्रीकेशन व रामके पुत्रगण उमाप्रसाद के नाम ग्राम खिम्लेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीकेशन व रामकेश द्वारा भूमि का प्रतिकर एक संयुक्त मांग पत्र दबिकल करके किया है। भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

आता खतोनी सं० 520

ससरा प्लाट नं० 179/2-5-8-0 बीघा भूमि पर ग्राम खिम्लेखी में श्यामलाल छोटेवाल, धनीराम मुन्नगण महावीर रामवासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्यामलाल, छोटेवाल, धनीराम द्वारा अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

आता खतोनी सं० 523

ससरा नं० 59/1-14-1-0, 488/1-18-17-0 बीघा भूमि पर श्रीकेशन से पुत्र परमू का नाम ग्राम खिम्लेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीकेशन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दक्षित किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

आता खतोनी सं० 524

ससरा प्लाट नं० 597/1-9-2-0 बीघा भूमि ग्राम खिम्लेखी में श्रीकेशन पुत्र लोचन राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीकेशन की मृत्यु हो चुकी

सं० 518
श्री
क
भूमि का
आता
05/2
देय
आता
ताप
आता व
म फुट
सोले
000/
ताप
आता
पु
रा भू
से
आता
गकर्ता
कोरि
आता
म
पुत्रा

प्रस्तुत की गयी खतौनी के अनुसार रामबिलास ना0बा0, -मंजु ना0बा0 पुत्रगण क्षेत्र
 सं० श्रीमती सरस्वती देवी [माता] हैं। मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि कर प्रतिफल 30/-
 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दामिल किया है।
 भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खतौनी सं० 526
 ससरा नं० 170/0-10-0, 171/0-12-0, 172/1-9-13, 173/2-9-0,
 05/2-17-18/556/0-18-17, 565/0-4-0 बीघा भूमि गंगाबन्धा सिंह, रामकृपाल
 सिंह, वीरेन्द्र कुमार सिंह, पुत्रगण शिवतुलारे सिंह, प्रतापसिंह अवयस्क, ओंकार सिंह अवयस्क,
 रामसिंह अवयस्क, शिवराजसिंह अवयस्क, पुत्रगण शिवरतन सिंह, सं० श्रीमती करुणा कुमारी

माता] पौत्र मृतक ग्र०बा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
 तथा पौत्र मृतक का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
 तथा पौत्र मृतक का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इन लोगों
 की ओर से मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति
 वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर
 से सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से सेवेरेन्स हेतु मांगा है। सर्राफ की फसल का प्रतिफल
 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है। ससरा नं० 565 ग्राम की आबादी के मध्य
 से भूखण्ड पर छप्पर, नाँदें तथा एककी चरही, शौचालय बना हुआ बताया है।
 जर्जन से मुक्त करने को कहा है। मांग कदा सिंह, रामकृपाल सिंह, वीरेन्द्र कुमार सिंह
 प्रत्यक-प्रत्यक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए चौधौई हिरसे एवं क्लेम किया है। इन लोगों
 का भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। 15 प्रतिशत की
 दर से ब्याज व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांगा है। फसल का प्रतिफल 5000/-
 प्रति बीघा की दर से मांगा है। प्लॉट नं० 565 के संबंध में वही बातें कही हैं जो ऊपर
 उल्लेखित दारा कही गयी हैं। प्लॉट नं० 170 पर बताया है कि ट्यूबवैल के साथ छोटा
 मंदिर बना हुआ बताया है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग
 निधारित किया जायगा वह पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि
 फसल का कटना नहीं लिया गया है। भूमि को जर्जन से मुक्त करना इस स्तर से संभव
 नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिरसे
 मुताबिक देय होगा।

अभिलेखों में श्रीकेशन पुत्र
 श्रीकेशन की मृत्यु हो चुकी।

जाता सतीनी सं० 527

ससरा प्लॉट सं० 7/2-2-1। बीघा भूमि श्यामकिहारी पुत्र धीरो निवासी तलवा का नाम ग्राम अम्बिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। शत्रोहन, मारत पुत्रगण श्यामकिहारी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार वसीयत का सक्ष्य प्रस्तुत करने की दशा में ही देय होगा।

ससरा सतीनी सं० 532

ससरा प्लॉट नं० 505/0-5-0 बीघा भूमि ग्राम अम्बिलेखों में शिवदीन पुत्र उदा ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। शिवदीन की मृत्यु हो गयी है। प्रस्तुत सतीनी के अनुसार रामदीन पुत्र शिवदीन व रघुनाथ व रामगोपाल व रामगोपाल पुत्रगण नेत्रे, शिवदीन के वरिष्ठ वर्ज हैं। उपरोक्त में से रामदीन द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

जाता सतीनी सं० 534

ससरा प्लॉट नं० 354/0-19-6 बीघा भूमि ग्राम अम्बिलेखों में शोभा पुत्र दुर्गा निवासी तलवा का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। शोभा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

जाता सतीनी सं० 534

ससरा प्लॉट नं० 145/1-1-5-0 बीघा भूमि ग्राम अम्बिलेखों में प्रताप सिंह, ओम्कार सिंह अन्नयस्क, श्याम सिंह अन्नयस्क, शिवराज सिंह अन्नयस्क पुत्रगण शिवरतन सिंह सं० श्रीमती कल्या कुमारी माता स्वयं ग्राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। संयुक्त

यदि पत्र दक्षिण करते हुये भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम तथा सड़ी फसल का प्रतिफल 50 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है । गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने की भी कला है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है तथा भूमि अर्जन से मुक्त करना येरे स्तर से संभव नहीं है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतौनी सं० 537, 538

ससरा प्लॉट नं० 334/1-0-0, 366/2-3-4, 371/1-16-5, 455/1-1-बीघा भूमि ग्राम जीमलेखों में ससरा नं० 334 शत्रोहन पुत्र श्यामलाल के नाम, ससरा जीमलेखों में शिवदीन पुत्र 366, 371, 455 शत्रोहन पुत्र श्यामलाल, किशोरी पुत्र परागी व रामसहाय पुत्र शिवदीन की मृत्यु हो गयी रतनू के नाम अंकित है । किशोरी पुत्र परागी की मृत्यु हो चुकी है । प्रस्तुत सतौनी के व रामजोतार व रामगोपाल पुत्र किशोरी के वारिस शत्रोहन पुत्र श्यामलाल [सगा भतीजा] दर्ज है । श्यामलाल ने इन द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया है तथा 15 प्रतिशत की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा यमतः जो निर्धारित किया है उक्त बातों की अर्जित भूमि के लिये वरसे के अनुसार देय होगा । प्रस्तुत सतौनी के अनुसार उक्त सतौनी 538 में किशोरी मृतक का भी हिस्सा शत्रोहन पुत्र श्यामलाल को नियमानुसार देय होगा तथा इसी बातों में 1/3 भाग भूमि का प्रतिफल रामसहाय पुत्र रतनू को नियमानुसार देय होगा ।

जिमलेखों में शोभा पुत्र द्वारा

ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत

मांगा है तथा 20 प्रतिशत

की है । अपनी मांग की

यमतः जो निर्धारित किया

सतौनी सं० 539

ससरा नं० 269/0-17-2 बीघा भूमि ग्राम जीमलेखों में सरस्वती पुत्री गोरी नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सरस्वती ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत ब्याज की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

जिमलेखों में प्रताप सिंह, अकार

प्रसन्न सिंह सं० शीमती

द्वारा अंकित है । संयुक्त

साता सतीनी सं० 540

ससरा नं० 401/2-10-12-0, 507/2-17-10 बीघा भूमि ग्राम अभिलेख में मोहन लाल, मधुरा पुत्रगण छोटे लाल शामदासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सोहनलाल व मधुरा द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 30 प्रतिशत की दर से मोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 544

ससरा नं० 43/3-2-19, 101/1-12-12-0 व 418/2-7-12 बीघा भूमि सियाराम व रामचंद्र पुत्रगण महाबीर निवासी तख्ता के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सियाराम व रामचंद्र द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से मोलेशियम की मांग की है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 545

ससरा नम्बर 417/1-11-15 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सन्तु व जगन्नाथ पुत्रगण मुन्ना ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सन्तु द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा नियमानुसार न्याज की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 547

ससरा नं० 0-2-0, 467/1-13-2 बीघा भूमि सन्तु, रामकुंवर, इरी व गजोधर पुत्रगण शिवलाल निवासी तख्ता का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की

दर से मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निश्चित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

बीघा भूमि ग्राम अभिलेख नंबर श्रेणी-2 सीरदार अंकित करने हुए भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत करते हुए भूमि प्रतिफल की दर से सोलेशियम मांग की पुष्टि में इन लोगों नियमतः जो निश्चित किया

खाना खतीनी सं० 551

ससरा नं० 621/0-8-18 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सुमेर पुत्र पुरई के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सुमेर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की है तथा सोलेशियम व ब्याज की भी मांग नियमानुसार की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निश्चित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतीनी सं० 553

व 418/2-7-12 बीघा म ग्राम अभिलेखों में बतौर धक मांग पत्र प्रस्तुत करते तथा 15 प्रतिशत की दर । इन लोगों द्वारा अपनी फल नियमतः जो निश्चित

ससरा नं० 99/0-9-14-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सर्वजीत पुत्र अम्बर नंद तन्ववा के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सर्वजीत ने भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निश्चित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतीनी सं० 554

ओं में सन्तू व जम्नाध के । सन्तू द्वारा अपना दर से तथा नियमानुसार नहीं प्रस्तुत किया है । देय होगा ।

ससरा नं० 554ब/1-19-13-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सन्तू पुत्र भवानी ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निश्चित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतीनी सं० 555

न्तू, रामकुंवर, डरी व बतौर श्रेणी-2 सीरदार 30/- प्रति वर्ग फुट की

ससरा नं० 530/0-1-10 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सन्तू व महावीर पुत्रगण भवानी ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । इन लोगों द्वारा कोई आपत्त/मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निश्चित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तेनी सं० 557

ससरा नं० 580/0-3-10-0, 581/0-2-0, 584/0-4-0, 230/1191/0-1-10-0 बीघा भूमि ग्राम खिभलेखों में सन्त कला सिंह, हरदेव सिंह पुत्रमण सरजू राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ण में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तेनी सं० 558

ससरा नं० 249/1193 रकबा 0-2-1-0 बीघा भूमि ग्राम खिभलेखों में सीताराम पुत्र दिल्लीबाज ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से सीताराम द्वारा मांगा गया है तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ण में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

साता सत्तेनी सं० 562

ससरा नं० 31/0-15-3-0 बीघा भूमि ग्राम खिभलेखों में सरजू पुत्र पीताम्बर ग्राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । सरजू द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सत्तेनी सं० 564

ससरा नं० 644/1-12-12-0 बीघा भूमि सातिक राम पुत्र जगन्नाथ राम वासी का नाम ग्राम खिभलेखों में जोक्त है । सातिकराम अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से न्याय की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ण में कोई सब्य नहीं दिया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

0-4-0, 230/1191/0-

साता सत्तौनी सं० 570

। सिंह पुत्रगण सरजू ग्राम
मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये
। 15 प्रतिशत की दर से
। अपनी मांग की पुष्टि में
। जो निर्धारित किया जायगा

ससरा नं० 497/0-5-18-0, 503/0-8-0, 515/0-8-16, 95/0-
3-0, 649/0-10-2-0 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में साहबदीन पुत्र टिस्लीबाज ग्राम वासी
के नाम अंकित है । साहबदीन द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से
। 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग
की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः
। जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

। ग्राम अधिलेखों में सीताराम
। है । भूमि का प्रतिकर
। क्या नियमानुसार ब्याज व
। साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
। होगा ।

साता सत्तौनी सं० 573

ससरा नं० 261/0-10-1-0 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में श्रीमती सुमिरता
पुत्री लाला मन्नी रामबास ग्राम वासी का नाम अंकित है । सुमिरता ने अपना मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत
की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की
पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

। में सरजू पुत्र पीताम्बर
। का कोई मांग पत्र प्रस्तुत
। जायगा वह नियमानुसार

साता सत्तौनी सं० 575

ससरा नं० 608/1-2-18-0 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में इनोमान पुत्र बाबू
यादव के नाम अंकित है । इनोमान द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि
भूमि भावीनक क्षमता से भरपूर है । भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फिट की दर से
मांगा है तथा 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिशत की
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि
में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
वह नियमानुसार देय होगा ।

। [ज जगन्नाथ ग्राम वासी
। प्रस्तुत करते हुये भूमि का
। त की दर से सोलेशियम
। की पुष्टि में कोई साक्ष्य
। का वह नियमानुसार देय

साता सत्तौनी सं० 576

ससरा नं० 646/1-14-0 बीघा भूमि पर सुकानदेवी कियवा कन्नु यादव का
नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर सीरदार अंकित है । सुकानदेवी की मृत्यु हो चुकी है प्रस्तुत

सतीनी इन्तसाब के अनुसार उनके बरिस सुक्कादेवी पुत्री कल्लु इमृत्क की सगी लहकी नि० राम का नाम बरासतन दर्ज है । श्रीमती सुक्कादेवी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से, न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता सतीनी सं० 504

ससरा नं० 23स/1-9-0 बीघा भूमि ग्राम अमिलेखी में इनोमान पुत्र लसई का नाम बनेर श्रेणी-2 सीरवार अंकित है । इनोमान ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है । इनोमान ने अपनी मांग की पूर्ति में कोई सबू नहीं दलित किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता सतीनी सं० 587

ससरा नं० 361स/1-4-10 बीघा भूमि ग्राम अमिलेखी में हरी पुत्र मनोहर ग्राम बासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरवार अंकित है । हरी पुत्र मनोहर द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । हरी द्वारा अपनी की गयी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा तथा नियमानुसार सोलेशियम व न्याज भी देय होगा ।

अर्जित होने वाली भूमि में कुछ भूमि पर गहड़े पाये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है, ससरा नं० 145/1-1-5-0, 317/1-10-0, 499/5-4-5, 530/5-0-0, 532/0-10-0, 534/0-12-0, 544/0-11-0, 547/0-15-0, 548/0-14-0, 551मि/0-2-1, 525/0-4-10, कुल रकबा 16-7-16 बीघा भूमि पर 5 फुट से लेकर 10 फुट तक गहड़े पीके पर पाये गये हैं इसलिये इस भूमि में 10 प्रतिशत की कटौती समान भूमि के तुलना में लाने हेतु की जा रही है जो उचित एवं न्यायसंगत है । कुछ भूमि पर 2 फुट से 4 फुट तक भूमि अन्य भूमि की तुलना में नीची पथ तराई

की सगी लड़की
1 पत्र प्रस्तुत करते
प्रतिशत की वर से
प्रस्तुत किया है ।
दोगा ।

इनोमान पुत्र लसई
पत्र प्रस्तुत करते
0 प्रतिशत की वर
मान ने अपनी मांग
जो निर्धारित किया

इरी पुत्र मनेोहर
हर दारा मांग पत्र
है तथा 20 प्रतिशत
व की मांग की है।
न्या है । भूमि का
वधानुसार सोलेशियम

है जिनका विवरण
9/5-4-5, 530/
/0-13-0, 548/
6 बीघा भूमि पर
भूमि में 10 प्रतिशत
विशेष एवं न्यायसंगत
में नीची एवं तराई

क्षेत्र की है, जिसका विवरण उस प्रकार है । सासराने 2/0-15-0, 3/1-10-0, 107/
2-2-4, 122/1-17-1, 198/1-5-19, 199/2-9-11, 203/1-4-12, 295/
4-16-9, 296/2-5-0, 499/2-0-0, 529/0-7-0, 531/2-6-10, 532/1-
13-0, 534/0-10-0, 536/0-19-0, 537/0-13-15, 538/2-0-2, 540/
0-6-15, 541/0-6-15, 545/0-16-0, 546/0-8-0, 549/0-16-0, 550/
0-1-10, 530/0-16-0, 348/8-3-4, 349/0-11-0, 350/4-11-0, 352/0-
14-17, 353/0-17-11, 354/0-19-6, 355/1-1-4, 357/4-4-3, 350/
3-5-0, 359/4-11-10, 360/1-1-0, 361/1/1-4-10, 361/2/0-2-10,
362/1-2-0, 363/0-6-0, 364/1-7-19, 365/2-17-10, 366/2-3-4,
367/0-12-13, 368/3-3-9, 369/1-3-0, 370/2-1-0, 371/1-16-5,
372/0-16-0, 373/0-11-10, 374/0-10-0, 376/1-7-0, 377/6-2-10,
380/1-1-10, 381/1/0-10-10, 381/2/0-13-0, 382/1/0-19-0, 382/2/
0-16-0, 384/0-10-7, 385/3-4-11, 386/1-19-6, 388/2-12-13, 393/3-
19-5, 400/1-9-5, 401/2-18-12, 402/1-19-3, 403/1-11-10, 404/
1-11-0, 405/2-10-0, 406/2-15-15, 435/0-12-1, 436/0-19-10,
438/2-9-2, 439/9-13-2, 440/0-19-0, 441/1-1-10, 442/3-9-18,
443/2-1-15, 444/1-16-10, 449/2-4-5, 450/2-19-0, 454/1-11-11,
455/1-1-8, 456/6-5-10, 457/1-15-0, 458/0-13-15, 459/0-19-10,
460/0-12-0, 461/7-12-12, 463/1-5-9, 464/5-6-13, 453/0-5-0,
654/7-2-14, 655/0-8-0, 656/1/1-2-13, 656/2/0-6-18, 656/3/0-
6-4, 656/4/0-5-18, 657/0-7-18, 658/0-14-5, 659/0-18-15, 660/
3-13-10, कुल रकमा 200-3-1 बीघा भूमि को समान भूमि की तुलना में लाने हेतु
5 प्रतिशत की कटौती की गयी है ।

अब भूमि के मूल्यांकन के संबंध में विचार करेंगे । नियमानुसार तीन वर्ष की
अवधि के विक्रय पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील लखनऊ से नोट किये गये जो परिशिष्ट-
2 पर लीकत हैं । तीन वर्ष की अवधि में उस ग्राम में कुल 9 विक्रय पत्र प्राप्त हुए हैं
जनकी विक्रीत दरों में काफी भिन्नता, असमानता पायी जाती है जो प्रतिनिधि विक्रय पत्र
रूप में चयन करना उचित नहीं प्रतीत होता है । अतएव उस ग्राम में निष्पक्षिक विक्रय

सने
नि
हप
सा
भूमि
आ
का
हप
से
की
जा
सा
प्र
प्र
की
ह
प्र
व
प्र
प्र
की
ह

पत्रों को निरस्त करते हुए इसी योजना के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि ग्राम चिनहट, जिसकी विस्तृत शिष्टी बनी है जो इस ग्राम की भूमि की है, के विक्रय-पत्र कम संख्या - 9 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जा रहा है जो भूमि की उपयोगिता को देखते हुए उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। ग्राम चिनहट के विक्रय पत्र कम संख्या- 9 की विक्रीत दर रु0 1-13 पैसे प्रति वर्ग फुट जाती है जिसमें वृद्ध क्षेत्रफल के मद में कटौती 25 प्रतिशत करने के उपरान्त रु0 0-85 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर जाती है। यह दर ग्राम भरवारा की अर्जित की जा रही भूमि की उपयोगिता को देखते हुए उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है। अतएव अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिफल 0-85 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारित किया जा रहा है।

जर्मन के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर पाये गये कुओं का मूल्यांकन कटकेयू के अनुसार निकाला गया है जो रु0 2,71,116-38 पैसे होता है, अधीनर्णीत की जाती है। संबंधित काश्तकारों को फर्म-6 के अनुसार देय होगा।

अर्जित भूमि पर पाये गये निर्माणों का मूल्यांकन, लखनऊ पिप्लास प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त हुआ है जो रु0 52,555-00 होता है। यह धनराशि मुझे भी उचित प्रतीत होती है। अधीनर्णीत की जाती है जो संबंधित काश्तकारों को फर्म-6 के अनुसार देय होगा।

चूँकि निर्माणों एवं कुओं का कच्चा अध्याप्त निकाय को अभी हस्तान्तरित नहीं किया गया है। अतएव निर्माणों एवं कुओं का कच्चा अध्याप्त निकाय को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही उसका प्रतिफल संबंधित काश्तकारों को देय होगा।

प्रतिफल की धनराशि पर कच्चे की तिथि से प्रतिफल वितरण तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा, तथा प्रथम विक्रय तिथि से कच्चे की तिथि तक भूमि की कीमत, कुओं की कीमत व निर्माण की कीमत पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल भी देय होगा।

समस्त अर्जित भूमि की मालगुजारी रु0 2,66,114-00 होती है रु0 6,652-85 x 40 = 2,66,114-00। अध्याप्त निकाय से बगून कर कोषर गार में जमा किया जायेगा।

समस्त प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ के अतिरिक्त घोषित भूमि की सूचना प्राप्त होने पर ही शासनावेश संख्या 455/उन्चास-86-245 यू0टी0/76 टी0सी0